इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 अप्रैल 2026–चैत्र 27, शक 1948

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मेरा नाम "ARVINDRA" (अरविंद्र) था, जो कि त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड में दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरा सही नाम "DEENDAYAL SINGH" (दीनदयाल सिंह) है, जो मेरे मार्कशीट एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे मेरे सही नाम DEENDAYAL SINGH (दीनदयाल सिंह) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अरविन्द्र)	(दीनदयाल सिंह)
(ARVINDRA)	**(DEENDAYAL SINGH)**
	निवासी– ग्राम छठे का पुरा, गोसपुर, जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-2894)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम प्रथम चंद्रवंशी पुत्र ज्ञानप्रकाश चंद्रवंशी (Pratham Chandrawanshi S/o. Gyanprakash Chandrawanshi), निवासी– 66, हताइखेड़ा रोड, आरा मशीन के पास, प्रेस कालोनी आनंद नगर, हुजूर, भेल, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम प्रशांत चंद्रवंशी पुत्र ज्ञान प्रकाश चंद्रवंशी (Prashant Chandrawanshi S/o. Gyan Prakash Chandrawanshi) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरी शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम प्रथम चंद्रवंशी पुत्र ज्ञानप्रकाश चंद्रवंशी (Pratham Chandrawanshi S/o. Gyanprakash Chandrawanshi) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(प्रशांत चंद्रवंशी)	(प्रथम चंद्रवंशी)
(Prashant Chandrawanshi)	**(Pratham Chandrawanshi)**
पुत्र– ज्ञान प्रकाश चंद्रवंशी	पुत्र– ज्ञानप्रकाश चंद्रवंशी
(S/o. Gyan Prakash Chandrawanshi)	(S/o. Gyanprakash Chandrawanshi).

(G-2895)

नाम परिवर्तन

मैं, विक्रम पवार पुत्र श्री महेन्द्र पवार, निवासी– ग्राम रासलाखेडी, पशु बजार के सामने, विदिशा रोड, भानपुर, भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम गार्गी पवार है. मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र, समग्र आई. डी., शैक्षणिक दस्तावेजों में सही नाम गार्गी पवार नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को भविष्य में गार्गी पवार के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(विक्रम पवार)

पुत्र– श्री महेन्द्र पवार.

(G-2896)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम प्रीतु बागरी पत्नी श्री रमाशंकर बागरी, निवासी– म. नं. 213ख/1, वार्ड क्र. 2, श्रीराम कालोनी, नागोद, सतना (म.प्र.). मेरे द्वारा अपने पुत्र असित बागरी के ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमीशन काउन्सलिंग का फार्म भरते समय त्रुटिवश मेरा नाम प्रीतु बागरी (Preetu Bagri) अंकित हो गया है. मेरा सही नाम प्रीतु बागरी (Pritu Bagri) है, जो मेरे आधार कार्ड, समग्र आई.डी. में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे प्रीतु बागरी पत्नी श्री रमाशकर बागरी के नाम जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(प्रीतु बागरी)	(प्रीतु बागरी)
(Preetu Bagri)	**(Pritu Bagri).**

(G-2897)

नाम परिवर्तन

मैं, पंकज सेन पुत्र रामदास सेन, निवासी– 668, ग्राम उपराराखास, पलेरा, तहसील लिधोंरा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश रूपनारायण (RUPNARAYAN) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे जन्म प्रमाण– पत्र, मूल निवास प्रमाण– पत्र एवं समस्त शैक्षिणक दस्तावेजों में पंकज सेन (PANKAJ SEN) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/ व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में मेरा सही नाम पंकज सेन (PANKAJ SEN) पुत्र रामदास सेन के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रूपनारायण)	(पंकज सेन)
(RUPNARAYAN)	**(PANKAJ SEN).**

(G-2898)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम अभिषेक चौबे पिता बलदेव चौबे (ABHISHEK CHOUBEY S/o. BALDEV CHOBEY) निवासी– लाल बहादुर शास्त्री, वार्ड नं. 07, नगर परिषद्, सुरखी, सागर (म.प्र.) मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अरविन्द चौबे पिता बलदेव चौबे (ARVIND CHOUBEY S/o. BALDEV CHOUBEY) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे निर्वाचन आयोग कार्ड में दर्ज है, मैं, मेरे आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम अभिषेक चौबे पिता बलदेव चौबे (ABHISHEK CHOUBEY S/o. BALDEV CHOBEY) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अरविन्द चौबे)	(अभिषेक चौबे)
(ARVIND CHOUBEY)	**(ABHISHEK CHOUBEY)**
पिता– बलदेव चौबे	पिता– बलदेव चौबे
S/o. BALDEV CHOUBEY	S/o. BALDEV CHOBEY.

(G-2899)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम शिवम साहू पिता बबलू साहू (SHIVAM SAHU S/o. BABLU SAHU) है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश पवन साहू पिता बब्लू साहू (PAWAN SAHU S/o. BABLU SAHU) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम शिवम साहू पिता बबलू साहू (SHIVAM SAHU S/o. BABLU SAHU) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को उसके सही नाम शिवम साहू पिता बबलू साहू (SHIVAM SAHU S/o. BABLU SAHU) के नाम से जाना–पहचाना एवं उसके आधाार कार्ड एवं शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(बबलू साहू)
आत्मज– कुकरू
निवासी– महिदपुर, अशोक नगर, महिदपुर (म.प्र.).

(G-2900)

नाम परिवर्तन

मैं, हक्कू वंशकार आत्मज श्री मिठठूलाल, निवासी– नरसिंह वार्ड करेली, नरसिंहपुर (म.प्र.). मेरा सही नाम हक्कू वंशकार (Hakku Vanskar) है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम हल्कू (Halku) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम हक्कू वंशकार (Hakku Vanskar) के नाम से जाना–पहचाना एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(हल्कू)	**(हक्कू वंशकार)**
(Halku)	**(Hakku Vanskar).**

(G-2901)

नाम परिवर्तन

मैं, उषा टेंभरे (USHA TEMBHARE) पति स्व. अमृतलाल टेंभरे, निवासी– वार्ड नं. 06, ग्राम रेंगाटोला, पोस्ट गर्रा, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.). मेरे नाम आधार कार्ड में ऑनलाइन निकालने पर उषा उर्फ रेवतन टेंभरे (USHA@ REVTAN TEMBHARE) दर्ज है. उक्त दोनों नाम मेरे ही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे मतदाता फोटो पहचान–पत्र एवं ऋण–पुस्तिका, राशन कार्ड, पैन कार्ड में सही नाम उषा टेंभरे (USHA TEMBHARE) पति स्व. अमृतलाल टेंभरे के नाम से जाना–पहचाना एवं आधार कार्ड एवं अन्य शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(उषा उर्फ रेवतन टेंभरे)	**(उषा टेंभरे)**
(USHA@ REVTAN TEMBHARE)	**(USHA TEMBHARE)**
	पति– स्व. अमृतलाल टेंभरे.

(G-2902)

नाम परिवर्तन

मैं, राशि कोठारी पत्नी रोहित कोठारी, निवासी--850/1, ब्लॉक नंबर सी--2, फ्लेट नंबर 103, शुभलाभ रेसिडेंसी, खजराना चौराहा, इन्दौर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम हेमलता कमल बागोरा (HEMLATA KAMAL BAGORA) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम राशि कोठारी (RASHI KOTHARI) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/ व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम राशि कोठारी (RASHI KOTHARI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(हेमलता कमल बागोरा)	**(राशि कोठारी)**
(HEMLATA KAMAL BAGORA)	**(RASHI KOTHARI).**

(G-2903)

नाम परिवर्तन

मैं, अंकित पटेल पिता नरेन्द्र पटेल एवं दिव्या पटेल पति अंकित पटेल, निवासी – ग्राम बिजलपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.). मेरे पुत्र जिसका नाम युवराज पटेल है. मैं, अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर युक्श पटेल (YUKSH PATEL) कर रहे हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम युक्श पटेल (YUKSH PATEL) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम — नया नाम

(युवराज पटेल) — **(युक्श पटेल).**

(G-2904)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम निरंजन सिंह था, जो कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, समग्र आई.डी., ड्रायविंग लायसेंस आदि में दर्ज है. अब वर्तमान में मैंने अपना नाम परिवर्तन कर भूपेन्द्र सिंह कर लिया है, जो कि मेरे वोटर कार्ड आदि में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे निरंजन सिंह के स्थान पर भूपेन्द्र सिंह के नाम से जाना–पहचाना एवं मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम भूपेन्द्र सिंह दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(निरंजन सिंह)

नया नाम

(भूपेन्द्र सिंह)
पुत्र– जगदीश
निवासी– ग्राम ओडपुरा, होतम सिंह का पुरा,
तिघरा रोड, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2905)

नाम परिवर्तन

मैं, ध्यानसिंग बारेला पिता रूखडिया बारेला, निवासी– ग्राम हसनपुरा, तहसील व जिला बुरहानपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में गलती से मेरा नाम ज्ञानसिंह दर्ज हो गया है, जबकि मेरा सही नाम ध्यानसिंग (DHYANSING) पिता रूखडिया (RUKHDIYA) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे भविष्य में ध्यानसिंग (DHYANSING) पिता रूखडिया (RUKHDIYA) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(ज्ञानसिंह)

नया नाम

(ध्यानसिंग)
पिता– रूखडिया.

(G-2906)

नाम परिवर्तन

मैं, कैलाश पिता तुकाराम महाजन, निवासी– ग्राम बडझिरी, तहसील व जिला बुरहानपुर (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम शालेय अभिलेख व अन्य दस्तावेजों में मनीष पिता कैलाश महाजन अंकित है, परन्तु उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम देवेन्द्र महाजन अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को उसके सही नाम मनीष पिता कैलाश महाजन के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(कैलाश महाजन)
पिता– तुकाराम महाजन.

(G-2907)

नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड में नाम भूपसिंह कुशवाह दर्ज है, जो कि गलत है. मेरे अन्य दस्तावेजों जैसे वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, समग्र.आई.डी., जाति प्रमाण–पत्र, मूल निवासी, राशनकार्ड में नाम पप्पू कुशवाह पुत्र श्री बंशी कुशवाह दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे मेरे सही नाम पप्पू कुशवाह पुत्र श्री बंशी कुशवाह के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(पप्पू कुशवाह)

पुत्र– श्री बंशी कुशवाह

निवासी– गिरवाई नाका, बाबा वाली पहाडिया,

लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2908)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम हिमा पाटीदार (Himayu Patidar) था, जो कि परिवर्तित करके रुद्रांश पाटीदार (Rudransh Patidar) कर लिया गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को उसके परिवर्तित नाम रूद्रांश पाटीदार (Rudransh Patidar) के नाम से जाना–पहचान एवं समस्त शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में भी दर्ज किया जावे.

आवेदक

(सुनील पाटीदार)

निवासी– ग्राम पलवाड़ा, तहसील बदनावर,

जिला धार (म.प्र.).

(G-2909)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती लौन्गश्री पत्नी श्री महाराम, निवासी– म. नं. 355, सुदामा नगर, हुजुर, गोविन्दपुरा जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम श्रीमती लिंग्श्री है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम वोटर कार्ड में श्रीमती लौन्गश्री दर्ज है. मैं, श्रीमती लौन्गश्री के नाम से जानी– पहचानी जाती हूँ, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे श्रीमती लौन्गश्री के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(लौन्गश्री).

(G-2910)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रवेता माहेश्वरी, निवासी– 18 मीठा रामनगर, खंडवा (म.प्र.). मेरे प्रथम विवाह से प्राप्त पुत्र रक्षित त्रिवेदी पिता विवेक त्रिवेदी जिसके जन्म प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों में रक्षित त्रिवेदी पिता विवेक त्रिवेदी नाम दर्ज है. परंतु मेरे पति की मृत्यु उपरान्त मेरा दूसरा विवाह नितिन माहेश्वरी से हुआ. जिससे मेरा नाम श्वेता माहेश्वरी पति नितिन माहेश्वरी हो गया है. अब मेरे पुत्र के नाम के साथ भी रक्षित पिता नितिन माहेश्वरी दर्ज करवाना चाहती हूं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र रक्षित माहेश्वरी पिता नितिन माहेश्वरी के नाम से ही जाना–पहचाना जावे एवं यही नाम उसके सभी दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(श्रवेता माहेश्वरी)

पत्नी– नितिन माहेश्वरी.

(G-2911)

नाम परिवर्तन

मेरा पुत्र वंश नेमा पुत्र श्री मनोज कुमार नेमा, निवासी– 89, कस्तूरी ग्रीन सिटी, सेमरा कलां, भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम वंश नेमा है, मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों में त्रुटिवंश वंश लिखा गया है, आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण–पत्र आदि में पुत्र का नाम वंश नेमा लिखा हुआ हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को वंश नेमा के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मनोज कुमार नेमा).

(G-2912)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम कोमल गोस्वामी (KOMAL GOSWAMI) पुत्री नागेन्द्र गोस्वामी, निवासी– ग्राम पनवार चौहानन टोला, पोस्ट–पनवार, पंवार चौहंतोला, सीधी (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम मंजू गोस्वामी (MANJU GOSWAMI) पुत्री नागेन्द्र गोस्वामी अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसकी शैक्षणिक अंकसूची व जन्म प्रमाण–पत्र के दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का नाम कोमल गोस्वामी (KOMAL GOSWAMI) पुत्री नागेन्द्र गोस्वामी के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(नागेन्द्र गोस्वामी).

(G-2913)

नाम परिवर्तन

मैं, नितिन मरकाम (Nitin Markam) आत्मज रमेश मरकाम हूँ. मेरा पुत्र कार्तिक मरकाम (Kartik Markam) है, जिसके आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम काव्य मरकाम (Kavya Markam) पुत्र नितिन मरकाम (Nitin Markam) दर्ज है, किन्तु मेरे पुत्र के अन्य समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार उसका सही नाम कार्तिक मरकाम (Kartik Markam) पुत्र नितिन मरकाम (Nitin Markam) है वह इसी नाम से जाना जाता है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को कार्तिक मरकाम (Kartik Markam) पुत्र नितिन मरकाम (Nitin Markam) के नाम से जाना–पहचाना एवं अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(नितिन मरकाम)
(Nitin Markam)
पता–67/खा हनुमान मंदिर के पास,
खजरी वीर सावरकर वार्ड नं. 03 छिंदवाड़ा (म.प्र.).

(G-2914)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम सन्नो बी पति जावेद (SANNO BEE W/o. JAVED) है और मैं, इसी नाम से जानी व पहचानी जाती हूं, जबकि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अंजुम पिता इलाई (ANJUM D/o. ILAI) अंकित हो गया है. मेरे वोटर कार्ड में मेरा नाम सन्नो बी पति जावेद (SANNO BEE W/o. JAVED) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे सन्नो बी पति जावेद (SANNO BEE W/o. JAVED) के नाम से जाना–पहचाना एवं सभी शासकीय/अशासकीय, शैक्षणिक/अशैक्षणिक दस्तावेजों व आधार कार्ड में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(अंजुम पिता इलाई)
(ANJUM D/o. ILAI)

नया नाम

(सन्नो बी पति जावेद)
(SANNO BEE W/o. JAVED)
पता–म.नं. 309, अन्नू नगर, करोद, तहसील हुजूर
जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-2915)

नाम परिवर्तन

मैं, सुनीताबाई बेनल पत्नी श्री रूखडिया बेनल, निवासी–म.नं. 44, ग्राम चोरवा, तहसील सतवास, पोस्ट जिनवानी, जिला देवास (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम मयंक बेनल (Mayank Benal) है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम महेन्क बेनल (Mahenk Benal) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त अपने सही नाम मयंक बेनल (Mayank Benal) के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(सुनीताबाई बेनल)

पत्नी– श्री रूखडिया बेनल.

(G-2916)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम सुदामा पिता सहदेव (SUDAMA S/o. SAHDEV) है, जबकि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम सुदामा बेहरे C/o. देवराम केदार (Sudama Behre C/o. Devram Kedar) अंकित हो गया है. मेरे कार्यालयीन विनियमितीकरण आदेश. वोटर कार्ड एवं बैंक पास बुक में मेरा सुदामा पिता सहदेव दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे सुदामा पिता सहदेव (SUDAMA S/o. SAHDEV) के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं सभी शासकीय/अशासकीय, शैक्षणिक/अशैक्षणिक दस्तावेजों व आधार कार्ड में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	सही नाम
(सुदामा बेहरे)	**(सुदामा)**
(Sudama Behre)	(SUDAMA)
C/o. देवराम केदार	पिता– सहदेव
C/o. Devram Kedar	S/o. SAHDEV
	पता– ब्लाक नं. 09, मकान नं. जी–5, शबरी नगर, कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल (म.प्र.).

(G-2917)

नाम परिवर्तन

मैं, Sanjeev Kumar Talanpuriya S/o. Shri Beni Prasad Talanpuriya, निवासी–286, पंचवटी कालोनी, ऐयरपोर्ट रोड, भोपाल (म.प्र.). मेरा सही नाम Sanjeev Kumar Talanpuriya S/o. Shri Beni Prasad Talanpuriya है एवं मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम Sanjeev Kumar Talanpuriya S/o. Shri Beni Prasad Talanpuriya अंकित है, परन्तु त्रुटिवश मेरी पुत्री Ayushi Talanpuriya पिता Sanjeev Kumar Talanpuriya के दस्तावेजों में मेरा नाम त्रुटिवश Sanjeev Talanpuriya अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे Sanjeev Kumar Talanpuriya से जाना–पहचाना जावे एवं मेरी पुत्री Ayushi Talanpuriya के दस्तावेजों में मेरा नाम Sanjeev Talanpuriya के स्थान पर Sanjeev Kumar Talanpuriya लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(Sanjeev Talanpuriya)	**(Sanjeev Kumar Talanpuriya)**

(G-2918)

नाम परिवर्तन

मैं, भोलाराम विश्वकर्मा, पिता स्व. सीताराम विश्वकर्मा, निवासी– खमरिया नीमखेड़ा, टी एफ–5, आर.आई. गौर नदी, डी. पी.एस. स्कूल के पास, मंडला रोड, जबलपुर (म.प्र.). मेरी सेवा पुस्तिका (Service Book) में मेरा नाम "BHOLARAM" अंकित है. जबकि मेरे अन्य सभी दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक आदि में मेरा नाम "BHOLARAM VISHWAKARMA" अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरा नाम "BHOLARAM VISHWAKARMA" लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(भोला राम)	**(भोलाराम विश्वकर्मा)**
(BHOLA RAM)	**(BHOLARAM VISHWAKARMA).**

(G-2919)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स व्ही. एस. इन्टरटेनमेंट फर्म जिसका पता– 164/1 आर एन टी मार्ग, इंदौर (म.प्र.). जिसका पंजीयन मांक 03–27–01–00131–11 दिनांक 29 सितम्बर 2011 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्रीमती हीना वाधवानी पति श्री ओमप्रकाश वाधवानी, 2. श्रीमती पूनम वाधवानी पति श्री किशोर वाधवानी, 3. श्री साहिल वाधवानी पिता श्री ओमप्रकाश वाधवानी थे. तत्पश्चात् दिनांक 19 मार्च 2026 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री वंश वाधवानी पिता श्री किशोर वाधवानी भागीदारी फर्म मेसर्स व्ही. एस. इन्टरटेनमेंट में सम्मिलित हो गए है.

तर्फे मेसर्स व्ही. एस. इन्टरटेनमेंट

1. **हीना वाधवानी**
2. **पूनम वाधवानी**
3. **साहिल वाधवानी**
4. **वंश वाधवानी**

(पार्टनर).

(G-2920)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स संजीवनी रियल्टी फर्म जिसका पता–F–31, फर्स्ट फ्लोर, यशवंत प्लाजा, ऑप. रेलवे स्टेशन इंदौर है. जिसका पंजीयन क्रमांक 03–27–01–0462–23 दिनांक 03 फरवरी 2023 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री नविन जैन पिता श्री जगदीश नानकराम जैन, 2. श्री प्रेमचंद जैन पिता श्री खाचु राम जैन थे. तत्पश्चात् दिनांक 01 अप्रैल 2025 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री नितेश जैन पिता श्री जगदीश जैन भागीदारी फर्म मेसर्स संजीवनी रियल्टी में समिल्लित हो गए हैं, तत्पश्चात् दिनांक 11 फरवरी 2026 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा श्री प्रेमचंद जैन पिता श्री खाचु राम जैन भागीदारी फर्म मेसर्स संजीवनी रियल्टी से पृथक् हो गए है. पृथकीय भागीदार ने फर्म संजीवनी रियल्टी से अपना पूर्ण हिसाब–किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना–देना शेष नहीं है.

तर्फे मेसर्स संजीवनी रियल्टी

1. **नविन जैन**
2. **नितेश जैन**

(पार्टनर).

(G-2921)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती हसीना बी, पत्नी श्री अब्दुल अज़ीम, निवासी– म. क्र. 125, साजिदा नगर, कर्बला रोड, ब्लॉक नंबर. 1, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे कुछ शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम त्रुटिवश "श्री बशीर खां" अंकित हो गया है, जबकि मेरे पिता का सही नाम "श्री रशीद खां" है. "हसीना बी, पुत्री श्री बशीर खां" एवं "हसीना बी, पुत्री श्री रशीद खां" दोनों विवरण एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मैं, अपना नाम/पिता का नाम "हसीना बी, पुत्री श्री रशीद खां" के नाम से जाना–पहचाना तथा मेरे सभी शासकीय एवं अशासकीय अभिलेखों, प्रमाण–पत्रों एवं दस्तावेजों में मेरा यही नाम एवं पिता का नाम दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(हसीना बी)	**(हसीना बी)**
पुत्री– श्री बशीर खां	पुत्री– श्री रशीद खां.

(G-2922)

उपनाम परिवर्तन

मैं, नंदनी बंसोड पत्नी श्री शशांक बंसोड, निवासी– म.नं. 18, एस्सारजी कैंपस, एम जी एम विद्यालय के पास, अवधपुरी, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा विवाह पूर्व नाम नंदनी वंशकार पुत्री श्री ज्वाला प्रसाद (NANDANI VANSHKAR D/o. JWALA PRASAD) अंकित है, जबकि विवाहोपरांत मेरा नाम नंदनी बंसोड पत्नी श्री शशांक बंसोड (NANDANI BANSOD W/o. SHASHANK BANSOD) हो चुका है, जो कि मेरे विवाह प्रमाण–पत्र में भी अंकित है. नंदनी वंशकार पुत्री श्री ज्वाला प्रसाद (NANDANI VANSHKAR D/o. JWALA PRASAD) एवं नंदनी बंसोड पत्नी श्री शशांक बंसोड (NANDANI BANSOD W/o. SHASHANK BANSOD) दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम नंदनी बंसोड पत्नी श्री शशांक बंसोड (NANDANI BANSOD W/o. SHASHANK BANSOD) ही जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम — नया नाम

(नंदनी वंशकार) — **(नंदनी बंसोड).**

(G-2923)

नाम परिवर्तन

मैं, निलेश देथलिया आ. श्री राधेश्याम देथलिया एवं अन्जू पत्नी श्री निलेश देथलिया, निवासी– मैन बाजार, कनासिया, तह. तराना, जिला उज्जैन (म.प्र.). मेरी पुत्री जिसका नाम सुर्ती (SURTI) है. हम अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर श्रुति देथलिया (SHRUTI DETHLIYA) कर रहे हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में हमारी पुत्री को उसके सही नाम श्रुति देथलिया (SHRUTI DETHLIYA) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

आवेदक

(निलेश देथलिया)
आ. श्री राधेश्याम देथलिया.

(G-2924)

नाम परिवर्तन

मैं, अनवर खां पिता सत्तार खां, निवासी– 3, हबीब कॉलोनी, खजराना, इंदौर (म.प्र). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम जमीला मंसूरी (JAMILA MANSOORIE) पित्ता अनवर खां है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में सही नाम आशना (AASHNA) पिता अनवर खां दर्ज है, जो कि मेरी पुत्री का सही नाम है. मेरी पुत्री का नाम बदलकर उसका सही नाम उसके आधार कार्ड, शासकीय/अर्द्धशासकीय, दस्तावेजों में आशना (AASHNA) पिता अनवर खां नाम दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में उसे उसके सही नाम से जाना व पहचाना जावे.

आवेदक

(अनवर खां)
पिता– सत्तार खां.

(G-2925)

नाम परिवर्तन

मैं, चिराग जैन पिता महेन्द्र जैन, निवासी– 94 बी, अंलकार पैलेस कॉलोनी, इंदौर (म.प्र). मेरी पुत्री के आधार कार्ड, शैक्षणिक एवं दस्तावेजों में उसका नाम प्रवि जैन (PRAVI JAIN) दर्ज है, जिसको परिवर्तन करवाकर उसका नया नाम पार्श्वी जैन (PARSHVI JAIN) रखना चाहते है. उसके परिवर्तित जन्म प्रमाण–पत्र में उसका नाम पार्श्वी जैन (PARSHVI JAIN) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री को पार्श्वी जैन (PARSHVI JAIN) के नाम से जाना–पहचाना एवं शासकीय/अर्द्धशासकीय, गैर–शासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(चिराग जैन)
पिता– महेन्द्र जैन.

(G-2926)

नाम परिवर्तन

मैं, गब्बर खा पिता बाबू खॉ, निवासी– वार्ड नंबर 11, प्रेमनगर कॉलोनी, शुजालपुर मंडी, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर (म.प्र.). मेरे आधारकॉर्ड में मेरा नाम गब्बर खा (Gabbar Khan) दर्ज है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम मेरे स्कूल रिकॉर्ड एवं वोटर आई.डी. कॉर्ड में बबलू (Bablu) दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम बबलू (Bablu) दर्ज किया जावे तथा मेरे सभी शासकीय/अशासकीय /व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में सही नाम बबलू (Bablu) जाना–पहचाना एवं लिखा– पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(गब्बर खा)	(बबलू)
(Gabbar Khan)	**(Bablu).**

(G-2927)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम प्रियांश गौर पिता श्री रवि कुमार गौर, निवासी– ग्राम बीरपुर, श्योपुर, बीरपुर (म.प्र.) है. मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम प्रयांश गौड पिता श्री रवि कुमार गौड (PRAYANSH GAUD S/o. RAVI KUMAR GAUD) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे स्थानीय मूल निवासी प्रमाण एवं शैक्षणिक दस्तावेजो में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम प्रियांश गौर पिता श्री रवि कुमार गौर (PRIYANSH GAUR S/o. RAVI KUMAR GAUR) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(प्रयांश गौड)	(प्रियांश गौर)
(PRAYANSH GAUD)	**(PRIYANSH GAUR)**
पिता– श्री रवि कुमार गौड	पिता– श्री रवि कुमार गौर
S/o. RAVI KUMAR GAUD	S/o. RAVI KUMAR GAUR

(G-2928)

नाम परिवर्तन

मैं, रूपलाल डेहरिया पिता रामदयाल डेहरिया, निवासी– नीलकंठीखुर्द, पोस्ट परसगांव, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों की अंकसूची में, स्थायी जाति प्रमाण–पत्र में खुशी डेहरिया (Khushi dehariya) पिता रूपलाल डेहरिया है, जो कि सही है, किन्तु आधार कार्ड में तरुणा डेहरिया नाम दर्ज है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को उसके सही नाम खुशी डेहरिया (Khushi dehariya) के नाम से जाना–पहचाना जावे.

आवेदक

(रूपलाल डेहरिया)
पिता– रामदयाल डेहरिया.

(G-2929)

नाम परिवर्तन

मैं, गोविंद प्रसाद रजक पिता श्री जगदीश प्रसाद रजक, निवासी– पाण्डेय टोला, उत्तर दरवाजा, मैहर थाना व तहसील मैहर, जिला मैहर (म.प्र.) मेरे पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेजों में एवं जन्म प्रमाण–पत्र में उसका नाम रिशिका रजक पिता गोविंद रजक दर्ज है, जबकि उसके आधाकार्ड में उसका नाम इशिका रजक पिता गोविंद रजक दर्ज है, उपरोक्त दोनों नाम मेरी एक ही पुत्री के नाम है, मेरे पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेजों व जन्म प्रमाण–पत्र तथा आधार कार्ड मे भिन्न भिन्न नाम दर्ज है. जिससे मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तोवजों व जन्म प्रमाण–पत्र के अनुसार उसके आधार कार्ड में उसका नाम रिशिका रजक पिता गोविंद रजक के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(गोविंद प्रसाद रजक)
पिता– श्री जगदीश प्रसाद रजक.

(G-2930)

नाम परिवर्तन

मैं, अभिषेक पुरी गोस्वामी पिता श्री शिवशंकर पुरी गोस्वामी, निवासी– पाण्डेय टोला, वार्ड क्र. 10, पुरानी बस्ती, मैहर थाना व तहसील मैहर, जिला मैहर (म.प्र.). मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों में एवं जन्म प्रमाण–पत्र में उसका नाम चिरंजीव पुरी गोस्वामी पिता अभिषेक पुरी गोस्वामी दर्ज है, जबकि उसके आधार कार्ड में उसका नाम धैर्य पुरी गोस्वामी पिता अभिषेक पुरी गोस्वामी दर्ज है, उपरोक्त दोनों नाम मेरे पुत्र के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को सही नाम चिरजीव पुरी गोस्वामी पिता अभिषेक पुरी गोस्वामी के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(अभिषेक पुरी गोस्वामी)
पिता– श्री शिवशंकर पुरी गोस्वामी.

(G-2931)

नाम परिवर्तन

मैं, सरस्वती झुरानी पिता श्री मुरलीधर झुरानी, मेरा विवाह ''लोकेन्द्र लालवानी पिता श्री भगवानदास लालवानी, निवासी– 4, प्रताप मार्ग नीमच (म.प्र.).से हो जाने के पश्चात् से मेरा नाम ''रितिका लालवानी पति श्री लोकेन्द्र लालवानी हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे (RITIKA LALWANI W/o. LOKENDRA LALWANI) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

(सरस्वती झुरानी)
पिता– श्री मुरलीधर झुरानी

नया नाम

(रितिका लालवानी)
(RITIKA LALWANI)
पति– श्री लोकेन्द्र लालवानी
(W/o. LOKENDRA LALWANI).

(G-2932)

CHANGE OF NAME

My full name is Deepti Maheshwari and this same name is recorded in my Aadhaar Card, Pan Card, and other documents. However, in my share certificates of Tata Steel Limited, Reliance Natural Resources Limited, Reliance Industries Limited, State Bank of India, The Industrial Finance Corporation of India Limited, Essar Gujarat Limited and The Industrial Credit and Investment Corporation of India Limited, ICICI Bank Limited, my name is recorded as Deepti Kumar Both names Deepti Maheshwari and Deepti Kumar belong to one and the same woman. Therefore, after the publication of this notice, my name in the said shares and all government/non-government documents should be changed from Deepti Kumar to Deepti Maheshwari.

Old Name

(Deepti Kumar)

New Name

(Deepti Maheshwari)
W/o. Ashwini Kumar Maheshwari
R/o- 201, Gulmohar Building, Green Garden Estate,
City Centre, Gwalior (M.P.).

(G-2933)

CHANGE OF NAME

My full name is Ashwini Kumar Maheshwari and this same name is recorded in my Aadhaar Card, Pan Card and other documents. However, in my Tata Steel Limited share certificates and similar records, my name is recorded as Ashwini Kumar Both names Ashwini Kumar Maheshwari and Ashwini Kumar belong to one and the same person. Therefore, after the publication of this notice, my name in the said shares and all government/non-government documents should be changed from Ashwini Kumar to Ashwini Kumar Maheshwari.

Old Name

(Ashwini Kumar)

New Name

(Ashwini Kumar Maheshwari)
S/o. Munshi Lal Maheshwari
R/o- 201, Gulmohar, Green Garden Estate,
City Centre, Gwalior (M.P.).

(G-2934)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम वर्षा धोलपुरिया (VARSHA DHOLPURIYA) है, यही नाम मेरे पुराने आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड आदि दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि अपने आधार कार्ड को अपडेट कराते समय त्रुटिवश उसमें मेरा नाम ब्रिजेश (BRIJESH) दर्ज हो गया है, वर्षा धोलपुरिया (VARSHA DHOLPURIYA) और ब्रिजेश (BRIJESH) दोनों नाम मुझ एक ही महिला के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम ब्रिजेश (BRIJESH) के स्थान पर वर्षा धोलपुरिया (VARSHA DHOLPURIYA) लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(ब्रिजेश)
(BRIJESH)

नया नाम

(वर्षा धोलपुरिया)
(VARSHA DHOLPURIYA)
पत्नी– रवि कुमार धोलपुरिया,
निवासी– जवाहर सिंह की पायगा, नई सड़क,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2935)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम शाहजैब खान (SHAZAIB KHAN) है, यही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र आदि में दर्ज है, जबकि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम शेत खान (SETH KHAN) दर्ज हो गया है. शाहजैब खान (SHAZAIB KHAN) और शेत खान (SETH KHAN) दोनों नाम मेरे एक ही पुत्र के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में उसका नाम शेत खान (SETH KHAN) के स्थान पर शाहजैब खान (SHAZAIB KHAN) पुत्र साबिर खान लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(साबिर खान)
पुत्र– शहजाद खान
निवासी– पान पत्ते की गोठ, ईदगाह कम्पू,
लश्कर ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2936)

CHANGE OF NAME

I, Pradeep Dangi S/o. Hiralal Dangi hereby declare That I have changed My Name as Pradeep Singh Dangi S/o. Hiralal Dangi so, from now and in future I will be known by my new name Pradeep Singh Dangi S/o. Hiralal Dangi.

Old Name

(Pradeep Dangi)

New Name

(Pradeep Singh Dangi)
S/o. Hiralal Dangi
Add: Ojas Hospital, Alot Road,
Pani ki tanki ke pass, tal, Ratlam (M.P.).

(G-2937)

CHANGE OF NAME

I, Santosh Kamliya S/o. Johan Kamliya (old Name) here by declare That I have changed My Name as Santosh K John S/o. Johan Kamliya (New Name) so, from now and in future I will be known by my new name Santosh K John S/o. Johan Kamliya .

Old Name

(Santosh Kamliya)

New Name

(Santosh K John)
S/o. Johan Kamliya
Add: House Number 186, Kanadia, Road,
Near Sindhi Kirana Store, Manavta Nagar, Indore (M.P.).

(G-2938)

CHANGE OF NAME

I, Vikram Singh Bayas S/o. Sagar Singh Bayas here by declare That I have changed My Name as Vikram Singh Bais S/o. Sagar Singh Bayas so, from now and in future I will be known by my new name Vikram Singh Bais S/o. Sagar Singh Bayas.

Old Name	New Name
(Vikram Singh Bayas)	**(Vikram Singh Bais)** S/o. Sagar Singh Bayas Add: Shalimar Banglow, C-841, Pandit Deendayal Upadhyay, Nagar, Sukhliya, Indore (M.P.)

(G-2939)

CHANGE OF NAME

I, Prema Jagdish Prasad Agrawal W/o. Jagdishchandra Agrawal here by declare That I have changed My name as Premlata Agrawal W/o. Jagdishchandra Agrawal so, from now and in future I will be known by my new name Premlata Agrawal W/o Jagdishchandra Agrawal.

Old Name	New Name
(Prema Jagdish Prasad Agrawal)	**(Premlata Agrawal)** W/o. Jagdishchandra Agrawal Add: M.N. 5, Gali No. 07, Jawahar Ganj, Ward No. 19, Sendhwa, Dist. Barwani (M.P.).

(G-2940)

CHANGE OF NAME

I, Kaushalya Bai W/o. Heeralal Raikwar here by Declare That I have changed My name as Koshal Bai Raikwar W/o. Heeralal Raikwar so, from now and in future I will be known by my new name Koshal Bai Raikwar W/o. Heeralal Raikwar.

Old Name	New Name
(Kaushalya Bai)	**(Koshal Bai Raikwar)** W/o. Heeralal Raikwar Add: 15-177, Sai Vihar Colony, Rau, Rangwasa, Indore (M.P.).

(G-2941)

नाम परिवर्तन

मैं, हर्षित पाल पिता श्री संतोष पाल, मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा पूर्व नाम हर्ष पाल पिता श्री संतोष पाल दर्ज है. अब मैं, उक्त दस्तावेजों में अपना सही नाम हर्षित पाल पिता श्री संतोष पाल दर्ज करवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे सही नाम हर्षित पाल पिता श्री संतोष पाल के नाम से जाना– पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(हर्ष पाल)	**(हर्षित पाल)** पिता– श्री संतोष पाल निवासी– मोहन पुर, तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.).

(G-2942)

नाम परिवर्तन

मैं, राम लता अरजरिया पत्नी श्री शारदा प्रसाद अरजरिया, मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा पूर्व नाम अंजू लता अरजरिया पत्नी श्री शारदा प्रसाद अरजरिया दर्ज है. अब मैं, उक्त दस्तावेजों में अपना सही नाम राम लता अरजरिया पत्नी श्री शारदा प्रसाद अरजरिया दर्ज करवाना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे सही नाम राम लता अरजरिया पत्नी श्री शारदा प्रसाद अरजरिया के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अंजूलता अरजरिया)	**(राम लता अरजरिया)** पत्नी– श्री शारदा प्रसाद अरजरिया.

(G-2943)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम सुनीता पिता श्री राजेश राठौर, मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम चिंटू पिता श्री राजेश राठौर दर्ज है. अब मैं, उक्त दस्तावेजों में अपना सही नाम सुनीता पिता श्री राजेश राठौर दर्ज करवाना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे सही नाम सुनीता पिता श्री राजेश राठौर के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(चिंटू)	**(सुनीता)** पिता– श्री राजेश राठौर.

(G-2944)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम नेहा परमार पिता कैलाश परमार (NEHA PARMAR D/o. KAILASH PARMAR), निवासी– ग्राम बमुलिया, सीहोर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम विन्दास परमार पिता कैलाश परमार (VINDAS PARMAR D/o. KAILASH PARMAR) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम नेहा परमार पिता कैलाश परमार (NEHA PARMAR D/o. KAILASH PARMAR) मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे नेहा परमार पिता कैलाश परमार (NEHA PARMAR D/o. KAILASH PARMAR) के नाम से जाना– पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(विन्दास परमार) **(VINDAS PARMAR)**	**(नेहा परमार)** **(NEHA PARMAR)** पिता– कैलाश परमार (D/o. KAILASH PARMAR).

(G-2945)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम पर्वत सिंह राजपूत पिता राय सिंह राजपूत (PARVAT SINGH RAJPUT S/o. RAY SINGH RAJPUT), निवासी– 2/17, खटिक कॉलोनी, ऐशबाग, हुजूर, सिकंदरी सराय, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे शैक्षाणिक दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा नाम पर्वत सिंह राजपूत पिता राम सिंह राजपूत (PARVAT SINGH RAJPUT S/o. RAM SINGH RAJPUT) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे आधार कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम पर्वत सिंह राजपूत पिता राय सिंह राजपूत (PARVAT SINGH RAJPUT S/o. RAY SINGH RAJPUT) के नाम से जाना– पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(पर्वत सिंह राजपूत) **(PARVAT SINGH RAJPUT)** पिता राम सिंह राजपूत (S/o. RAM SINGH RAJPUT)	(पर्वत सिंह राजपूत) **(PARVAT SINGH RAJPUT)** पिता– राय सिंह राजपूत (S/o. RAY SINGH RAJPUT).

(G-2946)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम गुडडी (GUDDI) है, जो कि मेरे पति के पेंशन के पी.पी.ओ. आदि दस्तावेजों में दर्ज है. आधार कार्ड में मेरा घरू नाम विमलेश सिकरवार दर्ज है. विमलेश सिकरवार और गुडडी दोनों ही नाम मुझ एक ही महिला के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम विमलेश सिकरवार (VIMLESH SIKARWAR) के स्थान पर गुडडी (GUDDI) दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(विमलेश सिकरवार) **(VIMLESH SIKARWAR)**	**(गुडडी)** **(GUDDI)** पति– श्री मुन्ना सिंह सिकरवार (W/o. MUNNA SINGH SIKARWAR) निवासी– न्यू हाउसिंग बार्ड कालोनी, जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-2947)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम विनय शाक्य (VINAY SHAKYA) है, जो कि मेरी मार्कशीट, जन्म प्रमाण–पत्र, जाति आदि दस्तावेजों में दर्ज है. आधार कार्ड में मेरा घरू नाम विनय शाक्यावार दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम विनय शाक्यावार (VINYA SHAKYAWAR) के स्थान पर विनय शाक्य (VINAY SHAKYA) दर्ज किया जावे व भविष्य में मुझे विनय शाक्य (VINAY SHAKYA) के नाम से जाना– पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(विनय शाक्यावार) **(VINYA SHAKYAWAR)**	**(विनय शाक्य)** **(VINAY SHAKYA)** पिता– श्री गोपाल शाक्यावार (D/o. GOPAL SHAKYAWAR) निवासी– किडि एस कॉर्नर स्कूल, नया बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2948)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम योगेन्द्र सिंह (YOGENDRA SINGH) है, जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज है. आधार कार्ड में मेरा घरू नाम शेरसिंह दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम शेरसिंह (SHERSINGH) के स्थान पर सही नाम योगेन्द्र सिंह (YOGENDRA SINGH) दर्ज किया जावे व भविष्य में मुझे योगेन्द्र सिंह (YOGENDRA SINGH) के नाम से जाना– पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(शेरसिंह)	**(योगेन्द्र सिंह)**
(SHERSINGH)	**(YOGENDRA SINGH)**
	पिता– श्री मर्दानसिंह
	(MARDANSINGH)
	निवास– गुडी गुडा का नाका, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2949)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम नरेशबाबू (NARESHBABU) है, जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज है. आधार कार्ड में मेरा घरू नाम रवि सिरोजिया दर्ज है. रवि सिरोजिया और नरेशबाबू दोनों ही नाम मुझ एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम रवि सिरोजिया (RAVI SHIROJIYA) के स्थान पर सही नाम नरेशबाबू (NARESH BABU) दर्ज किया जावे व भविष्य में मुझे नरेशबाबू (NARESH BABU) के नाम से जाना– पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रवि सिरोजिया)	**(नरेशबाबू)**
(RAVI SHIROJIYA)	**(NARESHBABU)**
	पिता– श्री ब्रिजमोहन सिरोजिया
	(BRIJMOHAN SHIROJIYA)
	निवासी– श्रीनगर कॉलोनी, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2950)

नाम परिवर्तन

मैं, विजय पवार पिता राजेंद्र पवार, निवासी– बाणगंगा उज्जैन रोड, 78/2, जिला इंदौर (म.प्र.). मेरा नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश विजेंद्र सिंह (Vijendra Singh) S/o. राजेंद्र पंवार (Rajendra Panwar) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम विजय पवार (VIJAY PAWAR) पिता राजेंद्र पवार (RAJENDRA PAWAR) है, जो मेरे वोटर आई.डी. कार्ड में दर्ज है, जिसको मैं, अपने आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय सभी दस्तावेजों में दर्ज करवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम विजय पवार (VIJAY PAWAR) पिता राजेंद्र पवार (RAJENDRA PAWAR) के नाम से जाना– पहचाना एवं लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(विजेंद्र सिंह)	**(विजय पवार)**
(Vijendra Singh)	**(VIJAY PAWAR)**
पिता– राजेंद्र पंवार	पिता– राजेंद्र पवार
S/o. Rajendra Panwar	(RAJENDRA PAWAR).

(G-2951)

नाम परिवर्तन

मैं, धन्ना लाल कुशवाहा पुत्र श्री फूल सिंह कुशवाहा, निवासी–वार्ड नं. 3, कानाखेड़ाकलां, साँची, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरा सही नाम धन्ना लाल कुशवाहा है, जो कि सही है एवं आधार कार्ड में मेरा नाम धन सिंह कुशवाहा दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम धन्ना लाल कुशवाहा के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(धन सिंह कुशवाहा)

नया नाम

(धन्ना लाल कुशवाहा)
आत्मज– श्री फूल सिंह कुशवाहा.

(G-2952)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती अर्चना राजपूत पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत, पुत्री श्री एम.एल. सिसोदिया, निवासी – म.नं. 44, राज सम्राट कॉलोनी, जे.के. रोड, नरेला शंकरी, भोपाल (म.प्र.). मेरे राजस्व अभिलेखों में मेरा नाम "कुमारी गायत्री पुत्री श्री एम.एल. सिसोदिया" दर्ज है, जबकि मेरा सही नाम "अर्चना राजपूत पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत" 'है अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे अर्चना राजपूत के नाम से ही जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(कुमारी गायत्री)
पुत्री श्री एम.एल. सिसोदिया

नया नाम

(अर्चना राजपूत)
पत्नी– श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत.

(G-2953)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म M/s. The Amrit Realters, Add.- H. No- 116, Sector A, Shahpura, Huzur, Bhopal (M.P.) 462016 है, जिसका पंजीयन क्र. 01–01–01–0334–24 सन् 2023–24, दिनांक 17 जनवरी 2024 में रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाए भोपाल संभाग (म.प्र.) में पंजीयत है, इस भागीदारी फर्म में दिनांक 10 मार्च 2026 को भागीदार श्री मनोज बुलचंदानी अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो रहे हैं तथा दिनांक 10 मार्च 2026 को श्री प्रितपाल सिंह बिंद्रा एवं अमृत होम्स प्राईवेट लिमिटेड (डाइरेक्टर श्री प्रितपाल सिंह बिंद्रा) को फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं, अब फर्म में वर्तमान भागीदार श्री बलदीप सिंह बिंद्रा, श्री प्रितपाल सिंह बिंद्रा एवं अमृत होम्स प्राईवेट लिमिटेड (डाइरेक्टर श्री प्रितपाल सिंह बिंद्रा) भागीदारी के रूप में कार्यों का संचालन करते रहेंगे.

M/s. The Amrit Realters

Shri Baldeep Singh Bindra
(भागीदार).
Add- H. No- 116, Sector A, Shahpura, Huzur,
Bhopal (M.P.).

(G-2954)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स तिरुपति मिनरल्स पंजीयन क्रमांक 03–30–07–0105–15 व पंजीयन दिनांक 09 जुलाई 2015 तथा पता– गायत्री उद्योग, इंदौर रोड, बड़वाह, जिला खरगोन है जिसमें बिलेख दिनांक 01 अगस्त 2014 के अनुसार फर्म में 2 भागीदार, 1. श्री हरि प्रसाद उपाध्याय पिता श्री मोहनलाल उपाध्याय, 2. श्री ऋषभ चौधरी पिता श्री सुरेश चौधरी थे. दिनांक 19 जनवरी 2026 को फर्म में 2 नए भागीदार, 1. श्री मोहम्मद वारिस पिता श्री अलाउद्दीन 2, शाहीन बानो पठान पति श्री मोहम्मद वारिस सम्मिलित हो गए तथा इसी

दिन फर्म से 1 भागीदार 1. श्री हरि प्रसाद उपाध्याय पिता श्री मोहनलाल उपाध्याय पृथक् हो गए हैं. अतः वर्तमान में फर्म में कुल 3 भागीदार शेष हैं, जो इस प्रकार हैं:– 1. श्री मोहम्मद वारिस पिता श्री अलाउद्दीन 2. शाहीन बानो पठान पति श्री मोहम्मद वारिस. 3. श्री ऋषभ चौधरी पिता श्री सुरेश चौधरी हैं.

फर्म मेसर्स तिरुपति मिनरल्स

मोहम्मद वारिस
(भागीदार).

(G-2955)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रयांसी कुमरे पिता फतेसिंग कुमरे, निवासी– ग्राम पलासपानी, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश प्रयांसी कुमरे (Priyansi Kumre) पिता फतेसिंग कुमरे (Fatesing Kumre) दर्ज हो गया है, जिसमें अंग्रेजी में स्पेलिंग गलत है. मेरा सही नाम प्रयांसी कुमरे (PRYANSI KUMRE) पिता फतेसिंग कुमरे (FATTESING KUMRE) है, जो कि मेरे जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे सही नाम प्रयांसी कुमरे (PRYANSI KUMRE) पिता फतेसिंग कुमरे (FATTESING KUMRE) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(प्रयांसी कुमरे)	**(प्रयांसी कुमरे)**
(Priyansi Kumre)	**(PRYANSI KUMRE)**
पिता– फतेसिंग	पिता– फतेसिंग
(Fatesing Kumre)	(FATTESING KUMRE).

(G-2956)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम सृष्टि उईके पिता गंभीर (SRISHTI UIKEY D/o. GABHIR), निवासी– विलेज मेंहदुल, देवास (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम क्षृष्टि उइके पुत्री सरस्वती भिलावी (KSHSTI UEKE D/o. SARASVATI BHILAVI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों एवं जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम सृष्टि उईके पिता गंभीर (SRISHTI UIKEY D/o. GABHIR) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(क्षृष्टि उइके)	**(सृष्टि उईके)**
(KSHSTI UEKE)	**(SRISHTI UIKEY)**
पुत्री– सरस्वती भिलावी	पिता– गंभीर
(D/o. SARASVATI BHILAVI)	(D/o. GABHIR).

(G-2957)

नाम परिवर्तन

मैं, राजकुमार मालवीय पिता प्रभुदयाल मालवीय, निवासी– वार्ड नं. 11, रैयदास नगर, इटारसी, जिला होशंगाबाद (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश कुहू मालवीय पिता राजकुमार मालवीय दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम आशी मालवीय (AASHI MALVIYA) पिता राजकुमार मालवीय (RAJKUMAR MALVIYA) है, जो कि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. जिसको मैं, अपनी पुत्री के आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय सभी दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को सही नाम आशी मालवीय (AASHI MALVIYA) पिता राजकुमार मालवीय (RAJKUMAR MALVIYA) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(राजकुमार मालवीय)
पिता– प्रभुदयाल मालवीय.

(G-2958)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम रूपराम सिंह रघुवंशी पिता श्री खुशाल सिंह रघुवंशी (ROOPRAM SINGH RAGHUVANSHI S/o. KHUSHAL SINGH RAGHUVANSHI), निवासी– ग्राम पांझ, विदिशा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम रूप सिंह पिता श्री खुशाल सिंह रघुवंशी (ROOP SINGH S/o. KHUSHAL SINGH RAGJUVANSHI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे निर्वाचन आयोग कार्ड एवं राजस्व अभिलेख में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम रूपराम सिंह रघुवंशी पिता श्री खुशाल सिंह रघुवंशी (ROOPRAM SINGH RAGHUVANSHI S/o. KHUSHAL SINGH RAGHUVANSHI) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रूप सिंह) **(ROOP SINGH)**	(रूपराम सिंह रघुवंशी) **(ROOPRAM SINGH RAGHUVANSHI)** पिता– श्री खुशाल सिंह रघुवंशी (S/o. KHUSHAL SINGH RAGHUVANSHI).

(G-2959)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स मास्टर्स बेकरी क्रोजोन पंजीयन क्रमांक 03–27–01–0159–20 व पंजीयन दिनांक 02 नवम्बर 2020 तथा पता– 345–346 पियु–4, स्कीम नं. 54, विजय नगर, इंदौर, जिला इंदौर है, जिसमें प्रथम विलेख दिनांक 20 जुलाई 2019 के अनुसार फर्म में 3 भागीदार 1. श्रीमति रजनी भारद्वाज पति श्री अतुल भारद्वाज, 2. श्री अरविन्द भारद्वाज पिता श्री गोविन्द स्वरूप भारद्वाज, 3. श्री प्रखर जैन पिता श्री मनोज जैन थे. दिनांक 22 सितम्बर 2025 को फर्म में 1 भागीदार, 1. श्री प्रखर जैन पिता श्री मनोज जैन पृथक् हो गए. अतः वर्तमान में फर्म में कुल 2 भागीदार शेष हैं, जो इस प्रकार हैं:– 1. श्रीमति रजनी भारद्वाज पति श्री अतुल भारद्वाज, 2. श्री अरविन्द भारद्वाज पिता श्री गोविन्द स्वरुप भारद्वाज है.

फर्म मेसर्स मास्टर्स बेकरी क्रोजोन

अरविन्द भारद्वाज
(भागीदार)
पता– 39, शांति विहार कॉलोनी, बिचोली हप्सी,
इन्दौर (म.प्र.).

(G-2960)

नाम परिवर्तन

मैं, राहतेबा पुत्री श्री मेहबूब कुरैशी, निवासी–वार्ड नं. 8. इतवारा बाजार, विनोबा वार्ड, पिपरिया नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश गुलअफसा कुरैशी पुत्री श्री अय्युब कुरैशी (GULAPSHA KURESHI D/o. AAYYUB KURESHI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम राहतेवा पुत्री श्री मेहबूब कुरैशी (RAHTEBA D/o. MEHBOOB QUERESHI) है, जो कि मेरे जन्म प्रमाण– पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है, जो कि मैं अपने आधार कार्ड में दर्ज करवाना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम राहतेबा पुत्री श्री मेहबूब कुरैशी (RAHTEBA D/o. MEHBOOB QUERESHI) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(गुलअफसा कुरैशी) **(GULAPSHA KURESHI)** पुत्री– श्री अय्युब कुरैशी (D/o. AAYYUB KURESHI	(राहतेबा) **(RAHTEBA)** पुत्री– श्री मेहबूब कुरैशी (D/o. MEHBOOB QUERESHI).

(G-2961)

नाम परिवर्तन

मैं, चारूलता रावत पत्नी श्री प्रभात कुमार रावत, निवासी– म.नं. 96, बी.यू.के. सामने, नारायण नगर, हुजूर, भोपाल यूनिवर्सिटी, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम चारू रावत पत्नी श्री प्रभात कुमार रावत (CHARU RAWAT W/o. PRABHAT KUMAR RAWAT) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे पासपोर्ट में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम चारूलता रावत पत्नी श्री प्रभात कुमार रावत (CHARULATA RAWAT W/o. PRABHAT KUMAR RAWAT) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(चारू रावत)	(चारूलता रावत)
(CHARU RAWAT)	**(CHARULATA RAWAT)**
	पत्नी– श्री प्रभात कुमार रावत
	(W/o. PRABHAT KUMAR RAWAT).

(G-2962)

नाम परिवर्तन

मैं, रानी राजपूत पत्नी हरिसिंह, निवासी–154, बारहद्वारी नालेकी झोपडी, राजगढ़ बिया, राजगढ़ (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश श्याम कुंवर पत्नी श्री हरिसिंह (SHYAM KUNVAR W/o. HARISINGH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम रानी राजपूत पत्नी हरिसिंह (RANI RAJPUT W/o. HARISINGH) है, जो कि मेरे जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजो में दर्ज है, जो कि मैं, अपने आधार कार्ड में दर्ज करवाना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम रानी राजपूत पत्नी हरिसिंह (RANI RAJPUT W/o. HARISINGH) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(श्याम कुंवर)	(रानी राजपूत)
(SHYAM KUNVAR)	**(RANI RAJPUT)**
पत्नी– श्री हरिसिंह	पत्नी– हरिसिंह
(W/o. HARISINGH)	(W/o. HARISINGH).

(G-2963)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रमिला बेलवंशी पत्नी श्री दुर्गेश कुमार, निवासी– अमरवाडा, अमरवाडा वार्ड नं. 4, छिन्दवाडा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम प्रमिला विश्वकर्मा पत्नी श्री दुर्गेश बेलवंशी (PRAMILA VISHWAKARMA W/o. DURGESH BELWANSHI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे वोटर आई.डी. कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम प्रमिला बेलवंशी पत्नी श्री दुर्गेश कुमार (PRAMILA BELWANSHI W/o. DURGESH KUMAR) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(प्रमिला विश्वकर्मा)	(प्रमिला बेलवंशी)
(PRAMILA VISHWAKARMA)	**(PRAMILA BELWANSHI)**
पत्नी– श्री दुर्गेश बेलवंशी	पत्नी– श्री दुर्गेश कुमार
(W/o. DURGESH BELWANSHI)	(W/o. DURGESH KUMAR).

(G-2964)

नाम परिवर्तन

मैं, मुकेश कुमार जाट पिता श्री भूपेन्द्र जाट, निवासी– 02, मेन रोड, ट्रांसफार्मर के पास, ग्राम मोमनपुर, कोटरा चोपडा, भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम रोहन जाट द्वारा मुकेश (ROHAN JAT C/o. MUKESH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों एवं जन्म प्रमाण– पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को उसके सही नाम सार्थक जाट पिता श्री मुकेश जाट (SARTHAK JAT S/o. MUKESH JAT)के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रोहन जाट द्वारा मुकेश) **(ROHAN JAT C/o. MUKESH)**	(सार्थक जाट) **(SARTHAK JAT)** पिता– श्री मुकेश जाट (S/o. MUKESH JAT).

(G-2965)

नाम परिवर्तन

मैं, राजकुंवरबाई (RAJKUNVARBAI) पति बद्री लाल, निवासी– म.नं. 138, मक्सी, तहसील व जिला शाजापुर (म.प्र.). जो कि मेरे खसरे एवं वोटर कार्ड में दर्ज है, जो कि सही है, परन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम राजू बाई (RAJU BAI) पति बद्री लाल दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में आधार कार्ड एवं सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम राजकुंवरबाई (RAJKUNVAR BAI) पति बद्री लाल दर्ज किया जावे एवं इसी नाम से लिखा–पढा, जाना पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राजू बाई) **(RAJU BAI)**	(राजकुंवरबाई) **(RAJKUNVARBAI)** पति– बद्री लाल.

(G-2966)

नाम परिवर्तन

मैं, दुर्गाप्रसाद (DURGAPRASAD) पिता शिवनारायण, निवासी– ग्राम जमलाय, तहसील मोमन बडोदिया, जिला शाजापुर (म.प्र.). जो कि मेरे खसरे एवं वोटर कार्ड में दर्ज है, जो कि सही है, परन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अम्बाराम (AMBARAM) पिता शिवनारायण दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य आधार कार्ड एवं सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम दुर्गाप्रसाद (DURGAPRASAD) पिता शिवनारायण के नाम से लिखा–पढ़ा, जाना–पहचाना जावे एवं समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अम्बाराम) **(AMBARAM)**	(दुर्गाप्रसाद) **(DURGAPRASAD)** पिता– शिवनारायण.

(G-2967)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम हितेश भंडारी (HITESH BHANDARI) पिता दीपक भंडारी, निवासी– म.नं. 183, वार्ड नं. 17, ग्राम कालिसिंध, तह. गुलाना, जिला शाजापुर (म.प्र.). मेरे पुत्र की अंकसूची एवं जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है, जो कि सही है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम हिमांशु मल जैन (HIMANSHU MAL JAIN) पिता दीपक जैन दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के आधार कार्ड एवं सभी दस्तावेजों में उसका सही नाम हितेश भंडारी (HITESH BHANDARI) पिता दीपक भंडारी के नाम से लिखा–पढ़ा, जाना–पहचाना जावे एवं समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(हिमांशु मल जैन)	**(हितेश भंडारी)**
(HIMANSHU MAL JAIN)	**(HITESH BHANDARI)**
	पिता– दीपक भंडारी.

(G-2968)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम पल्लवी (PALLAVI) पिता लेखराम है, जो कि मेरे आधार कार्ड एवं कुछ शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. मेरे कुछ शैक्षणिक दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा नाम पल्लवी पटेल (PALLAVI PATEL) पिता लेखराम पटेल दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम पल्लवी (PALLAVI) के नाम से लिखा–पढ़ा जावे एवं जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(पल्लवी पटेल)	**(पल्लवी)**
(PALLAVI PATEL)	**(PALLAVI)**
	पिता– लेखराम
	पता–- भोगवा निपानी, खरगोन (म.प्र.).

(G-2969)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम जुली राठौर (JULEE RATHORE) पति नितिन कुंडलिया है, जो कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट एवं मेरे पुत्र अविराज के जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों में माता के नाम के स्थान पर त्रुटिवश मेरा नाम जुली कुंडलिया (JULEE KUNDLIYA) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र अविराज कुंडलिया के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा सही नाम जुली राठौर ((JULEE RATHORE) के नाम से लिखा–पढ़ा एवं जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(जुली कुंडलिया)	**(जुली राठौर)**
(JULEE KUNDLIYA)	**(JULEE RATHORE)**
	पति– नितिन कुंडलिया
	पता– 66ए, सिलीकॉन सिटी, इन्दौर (म.प्र.).

(G-2970)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम मिताक्षरा झा (MITAKSHARA JHA) पिता जितेन्द्र झा है, जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र में अंकित है. मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका बोलता नाम मीठी झा (MEETHI JHA) पिता जितेन्द्र झा दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री के सभी दस्तावेजों में उसका सही नाम मिताक्षरा झा (MITAKSHARA JHA) पिता जितेन्द्र झा के नाम से लिखा–पढा एवं जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(जितेन्द्र झा)

पता–247, न्यू गोरी नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-2971)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम महक माहेश्वरी (MAHAK MAHESHWARI) पिता महेश माहेश्वरी था, जो कि मेरे कुछ शासकीय / अशासकीय दस्तावेजों में अंकित है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर मोहक माहेश्वरी (MOHAK MAHESHWARI) पिता महेश माहेश्वरी कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों में महक माहेश्वरी के स्थान पर मेरा परिवर्तित नाम मोहक माहेश्वरी (MOHAK MAHESHWARI) पिता महेश माहेश्वरी के नाम से लिखा–पढा एवं जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(महक माहेश्वरी)	(मोहक माहेश्वरी)
(MAHAK MAHESHWARI)	**(MOHAK MAHESHWARI)**
	पिता– महेश माहेश्वरी
	पता– 100, कैलाश पार्क, इन्दौर (म.प्र.)

(G-2972)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम कला बाई वर्मा (KALA BAI VERMA) पति गोपीलाल वर्मा है, जो कि मेरे आधार कार्ड में दर्ज है. मेरे एवं मेरे पति के कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा एवं मेरे पति का नाम त्रुटिवश कला बाई (KALA BAI) पति गोपीलाल दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे एवं मेरे पति के सभी दस्तावेजों में मेरा एवं मेरे पति का सही नाम कला बाई वर्मा (KALA BAI VERMA) पति गोपीलाल वर्मा के नाम से लिखा–पढ़ा एवं जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कला बाई)	(कला बाई वर्मा)
(KALA BAI)	**(KALA BAI VERMA)**
पति– गोपीलाल	पति-- गोपीलाल वर्मा
	पता– 227, चौहान नगर, इन्दौर (म.प्र.)

(G-2973)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम देवांशी छापरे (DEVANSHI CHHAPRE) पिता ललित छापरे है, जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है. मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम देवयांशी छापरे (DEVYANSHI CHAPRE) पिता ललित छापरे दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री के सभी दस्तावेजों में उसका सही नाम देवांशी छापरे (DEVANSHI CHHAPRE) पिता ललित छापरे के नाम से लिखा–पढ़ा एवं जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(ललित छापरे)

पता– 118/बी, पार्ट बी. माँ शारदा नगर, कबीट खेडी, सुखलिया, इन्दौर (म.प्र.).

(G-2974)

नाम परिवर्तन

मैं, अरविन्द कुमार पालीवाल, निवासी– पालीवाल मोहल्ला, ग्राम रामपुरिया, पोस्ट शिवपुर, जिला रतलाम (म.प्र.). मेरा नाम शैक्षणिक दस्तावेजों में अरविन्द पालीवाल पिता जयप्रकाश पालीवाल (ARVIND PALIWAL S/o. JAIPRAKASH PALIWAL) दर्ज है एवं समस्त दस्तावेजों में अरविन्द कुमार पालीवाल पिता जयप्रकाश पालीवाल (ARVIND KUMAR PALIWAL S/o. JAYPRAKASH PALIWAL) दर्ज है. दोनों ही नाम मेर स्वयं के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे अरविन्द कुमार पालीवाल पिता जयप्रकाश पालीवाल (ARVIND KUMAR PALIWAL S/o. JAYPRAKASH PALIWAL) के नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अरविन्द पालीवाल) **(ARVIND PALIWAL)** पिता– जयप्रकाश पालीवाल (S/o. JAIPRAKASH PALIWAL)	(अरविन्द कुमार पालीवाल) **(ARVIND KUMAR PALIWAL)** पिता– जयप्रकाश पालीवाल (S/o. JAYPRAKASH PALIWAL).

(G-2975)

नाम परिवर्तन

मैं, शरद जैन पिता राजेन्द्र जैन, निवासी– 01. रुद्राक्ष रेसीडेंसी, रतलाम (म.प्र.). मेरे पुत्र हार्दिक जैन की कक्षा 10 वीं की अंकसूची में मेरा नाम शरद कुमार जैन अंकित है. मेरा सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में शरद जैन (SHARAD JAIN) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(शरद कुमार जैन)	**(शरद जैन)** **(SHARAD JAIN)** पिता– राजेन्द्र जैन.

(G-2976)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम ऋषिराज चौधरी पुत्र पवन चौधरी (Rishiraj Choudhary S/o. Pawan Choudhary), निवासी– ग्राम रानीपुरा, देदला, धार (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम रूद्र चौधरी पुत्र पवन चौधरी (Rudra Choudhary S/o. Pawan Choudhary) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है तथा सही नाम को सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को उसके सही नाम ऋषिराज चौधरी पुत्र पवन चौधरी (Rishiraj Choudhary S/o. Pawan Choudhary) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदक

(पवन चौधरी)
पिता– फकीरचंद.

(G-2977)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम नीतेश पाल पुत्र रामकेश पाल (Nitesh Pal S/o. Ramkesh Pal), निवासी–नई बस्ती, कुधार, टीकमगढ़ (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम विशाल पुत्र रामकेश पाल (Vishal S/o. Ramkesh Pal) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है तथा सही नाम को सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को उसके सही नाम नीतेश पाल पुत्र रामकेश पाल (Nitesh Pal S/o. Ramkesh Pal) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदक

(रामकेश पाल)
पिता– मोहन पाल.

(G-2978)

नाम परिवर्तन

मैं, मेघा श्रोत्रिय पति पल्लव श्रोत्रिय, निवासी– 126, राजस्व कॉलोनी, रतलाम (म.प्र.). मेरा नाम कुछ शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में, आधार कार्ड में मेधा शर्मा श्रोत्रिय. अंकसूची में मेघा शर्मा अंकित है, मुझे दोनों नामों से जाना–पहचाना जाता है एवं दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे मेघा श्रोत्रिय पति पल्लव श्रोत्रिय (MEGHA SHROTRIYA W/o. PALLAV SHROTRIYA) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मेघा शर्मा श्रोत्रिय, मेघा शर्मा)	**(मेघा श्रोत्रिय)** **(MEGHA SHROTRIYA)** पति– पल्लव श्रोत्रिय (W/o. PALLAV SHROTRIYA).

(G-2979)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम पिंकी पत्नी मनोज, निवासी–अहमदा नगर, विदिशा (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम इशिता मेहर, माता पिंकी, पिता मनोज (Ishita Mehar D/o. Pinkee, Manoj) है. मेरा नाम मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेजों में त्रुटिवश माता का नाम अर्चना (Archana) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे आधार कार्ड व मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र के दस्तावेजों में दर्ज है तथा सही नाम को सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम इशिता मेहर, माता पिंकी, पिता मनोज (Ishita Mehar D/o. Pinkee, Manoj) के नाम से जाना--पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदिका

(पिंकी)

पत्नी– मनोज.

(G-2980)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम मोहम्मद इजराइल पुत्र मोहम्मद इस्माइल (Mohammed Israil S/o. Mohammad Ismail), निवासी–56, नया बाजार नं.2, कल्लन चौक, दमोह, दमोह खास, दमोह (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम नवाब पुत्र मोहम्मद इस्माइल रंगरेज (Nawab S/o. Mohammad Ismail Rangrez) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे भारतीय पासपोर्ट के दस्तावेजों में दर्ज है तथा सही नाम को सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम मोहम्मद इजराइल पुत्र मोहम्मद इस्माइल (Mohammed Israil S/o. Mohammad Ismail) के नाम से जाना--पहचाना व लिखा--पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(नवाब पुत्र मोहम्मद इस्माइल रंगरेज) **(Nawab S/o. Mohammad Ismail Rangrez)**	**(मोहम्मद इजराइल)** **(Mohammed Israil)** पुत्र– मोहम्मद इस्माइल S/o. Mohammad Ismail.

(G-2981)

नाम परिवर्तन

मैं, जयनारायण तिवारी, निवासी–11, जेल परिसर, रतलाम(म.प्र.). मेरे पुत्र भूपेन्द्र तिवारी की कक्षा 10 वीं की अंकसूची में पुत्र का सरनेम खराड़ी एवं माता का नाम भूरीबाई एवं पिता का नाम भेरूलाल त्रुटिवश अंकित हो गया है, अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम भूपेन्द्र तिवारी एवं माता का नाम ममता शर्मा एवं पिता का नाम जयनारायण तिवारी अंकसूची में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(जयनारायण तिवारी).
पिता– मोतीलाल जी तिवारी

(G-2982)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम मावीरा गोखले पुत्री गणेश गोखले (Mavira Gokhale D/o. Ganesh Gokhale), निवासी–167/के, पोस्ट खल बुजुर्ग, खल खुर्द, कसरावद, पश्चिम निमाड़ (म.प्र.). मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र में त्रुटिवश नाम आरवी गोखले पुत्री गणेश गोखले (Aarvi Gokhale D/o. Ganesh Gokhale) अंकित हो गया है, जो कि गलत है तथा उसके सही नाम को सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम मावीरा गोखले पुत्री गणेश गोखले (Mavira Gokhale D/o. Ganesh Gokhale) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे

आवेदक

(गणेश गोखले)
पुत्र– भगवान गोखले.

(G-2983)

नाम परिवर्तन

मैं, सुनील धनोतिया पिता भेरूलाल धनोतिया (SUNIL DHANOTIYA S/o. BHERU LAL DHANOTIYA), निवासी– गुलाबबाई कॉलोनी, गली नं. 2, नागदा जंक्शन, तहसील नागदा जिला उज्जैन (म.प्र.). मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण– पत्र एवं आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम सुहानी पोरवाल पिता सुनील (SUHANI PORWAL D/o. SUNIL) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरी पुत्री का सही नाम आरम्या पोरवाल पिता सुनील धनोतिया (AARAMYA PORWAL D/o. SUNIL DHANOTIYA) है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री की सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों एवं समस्त दस्तावेजों में आरम्या पोरवाल पिता सुनील धनोतिया (AARAMYA PORWAL D/o. SUNIL DHANOTIYA) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदक

(सुनील धनोतिया)
पिता– भेरूलाल धनोतिया.

(G-2984)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम भरोसा धोबी पुत्र गनपत धोबी (Bharosa Dhobi S/o. Ganpat Dhobi), निवासी– हाउस नं. 67, ग्राम मोतीपुर, पंचायत पचगोडिया, मोतीपुर, डोंगर मोतीपुर, गुना (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम रामभरोसा वास्त्री पुत्र गनपत वास्त्री (Rambharosa Vastri S/o. Ganpat Vastri) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे वोटर आई.डी., बैंक पासबुक दस्तावेजों में दर्ज है तथा सही नाम को सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम भरोसा धोबी पुत्र गनपत धोबी (Bharosa Dhobi S/o. Ganpat Dhobi) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रामभरोसा वास्त्री) **Rambharosa Vastri)** पुत्र– गनपत वास्त्री (S/o. Ganpat Vastri)	(भरोसा धोबी) **(Bharosa Dhobi)** पुत्र– गनपत धोबी (S/o. Ganpat Dhobi)

(G-2985)

नाम परिवर्तन

मैं, राजेन्द्र नागोर पिता रामलाल नागोर, निवासी– 45/1, सरकारी हॉस्टिपल के पीछे नयापुरा, गली नं. 01, रतलाम (म.प्र.). मेरा नाम कुछ शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय दस्तावेजों, नगर पालिक निगम आदि में राजाराम पिता रामलाल दर्ज है. उक्त दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम राजेन्द्र नागोर पिता रामलाल नागोर के नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राजाराम) पिता– रामलाल	(राजेन्द्र नागोर) पिता– रामलाल नागोर.

(G-2986)

नाम परिवर्तन

मैं, सुनीता (SUNITA) पत्नी श्री करन सिंह, मेरा पूर्व का नाम भानु देवी (BHANU DEVI) था, जो कि मेरे आधार कार्ड में लिखा गया है,जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, सुनीता के नाम से जानी–पहचानी जाती हूँ. मेरे पैन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरा नाम भानु देवी के स्थान पर सुनीता लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(भानु देवी)	(सुनीता) पत्नी– श्री करन सिंह पता– ग्राम कोतवाल, पोस्ट कोतवाल, मुरैना (म.प्र.).

(G-2987)

नाम परिवर्तन

मैं, महेश परसेडिया (MAHESII PARSEDIA) पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद, मेरा पूर्व का नाम भगवान सिंह (BHAGWAN SINGH) था, जो कि मेरे आधार कार्ड में लिखा गया है, जो कि गलत है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में में महेश परसेडिया के नाम से जाना–पहचाना जाता हूँ. मेरे पैन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, महेश परसेडिया एवं भगवान सिंह दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम भगवान सिंह के स्थान पर महेश परसेडिया लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(भगवान सिंह)	(महेश परसेडिया) पुत्र– श्री रघुनाथ प्रसाद पता– जगजीवन नगर, अरव साहब की दरगाह, मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2988)

CHANGE OF NAME

I, SAHEDA KHAN (शाहेदा खान) Here by declare that I have changed my name as SAYDA KHAN (सायदा खान) W/o. MOHAMMED AIZAZ KHAN (मोहम्मद एजाज़ खान). So, from now and in future I will be known by my new name.

Applicant

(SAYDA KHAN)
(शाहेदा खान)
W/o. MOHAMMED AIZAZ KHAN
(मोहम्मद एजाज़ खान)
ADD - H.NO. 16, GULZAR COLONY,
MANIKBAGH ROAD, INDORE (M.P.).

(G-2989)

CHANGE OF NAME

I, UMEMANOOR (उमेमानूर) Here by declare that I have changed my name as SAARA NOOR MULTANI (सारा नूर मुल्तानी) D/o. MOHAMMAD SAJID MULTANI (मोहम्मद साजिद मुल्तानी). So, from now and in future I will be known by my new name.

Applicant

(SAARA NOOR MULTANI)
(सारा नूर मुल्तानी)
D/o. MOHAMMED SAJID MULTANI
(मोहम्मद साजिद मुल्तानी)
ADD -3, DAUDI NAGAR, KHAJRANA,
INDORE (M.P.).

(G-2990)

CHANGE OF NAME

I, SAARA NOOR (सारा नूर) Here by declare that I have changed my name as GOSIYA NOOR MULTANI (गोसिया नूर मुल्तानी) D/o. MOHAMMAD SAJID MULTANI (मोहम्मद साजिद मुल्तानी). So, from now and in future I will be known by my new name.

Applicant

(GOSIYA NOOR MULTANI)
(गोसिया नूर मुल्तानी)
D/o. MOHAMMED SAJID MULTANI
(मोहम्मद साजिद मुल्तानी)
ADD -3, DAUDI NAGAR, KHAJRANA,
INDORE (M.P.).

(G-2991)

नाम परिवर्तन

मैं, छोटेलाल केवट आत्मज मोहनलाल केवट, निवासी– ग्राम सुरजना, तह. हंडिया, जिला हरदा (म.प्र.). मेरा सही नाम छोटेलाल केवट (CHHOTELAL KEVAT) आत्मज मोहनलाल केवट है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम बालाराम जाट आत्मज जगन्नाथ जाटव अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मैं अपना नाम छोटेलाल केवट (CHHOTELAL KEVAT) आत्मज मोहनलाल केवट अंकित कराना चाहता हूँ एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(बालाराम जाट)	(छोटेलाल केवट)
(BALARAM JAT)	**(CHHOTELAL KEVAT).**
आत्मज– जगन्नाथ जाटव	पिता– मोहनलाल केवट.

(G-2992)

नाम परिवर्तन

मैं, NITIN RAJABHAU SUBHEDAR पुत्र श्री R. R. SUBHEDAR, निवासी– प्लॉट नंबर 124, बिजली नगर, प्राइवेट कॉलोनी, गोविंदपुरा, भोपाल (म.प्र.). अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य के सभी कार्यों के लिए अपना नाम परिवर्तित कर NITIN SUBHEDAR किया है, मुझे इसी के नाम से जाना–पहचाना जावे.

आवेदक

(NITIN SUBHEDAR).

(G-2993)

नाम परिवर्तन

मैं, रामलाल पिता श्री गेंदालाल मौर्य, निवासी–वार्ड कं 16, ग्राम देशगांव, तहसील व जिला खंडवा (म.प्र.).मेरी पुत्री की अंकसूचियों व अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका नाम वैशाली दर्ज है एवं मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश लाली मोरे दर्ज हो गया है, जबकि मेरी पुत्री का सही नाम वैशाली है. मैं, अपनी पुत्री के आधार कार्ड में उसका सही नाम वैशाली दर्ज करवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को वैशाली नाम से जानी– पहचानी एवं सभी दस्तावेजों में उसका यही नाम दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रामलाल)

पिता– श्री गेंदालाल मौर्य.

(G-2994)

नाम परिवर्तन

मैं, माया धाकड़ पति दिनेश धाकड़ पिता स्व. श्री जगदीश जी, निवासी– ग्राम धमोत्तर, तहसील व जिला रतलाम (म.प्र.). मेरा सही नाम माया धाकड़ (MAYA DHAKAD) आत्मज स्व. जगदीश जी है. मेरे राजस्व अभिलेख में मेरा नाम त्रुटिवश सिता (SITA) आत्मज जगदीश जी अंकित हो गया है, अब मैं, अपने राजस्व अभिलेख में अपना सही नाम माया (MAYA) आत्मज स्व. जगदीश अंकित करवाना चाहती हूँ एवं मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम माया (MAYA) दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सिता)	(माया धाकड़)
(SITA)	**(MAYA DHAKAD)**
	आत्मज स्व. जगदीश.

(G-2995)

नाम परिवर्तन

मैं, सपना सगीतला पति राजेश जी सगीतला (पिता स्व. श्री जगदीश जी), निवासी– 118, पटेल कॉलोनी खाचरोद, जिला उज्जैन (म.प्र.). मेरा सही नाम सपना सगीतला (SAPNA SAGITALA) आत्मज स्व. जगदीश है, मेरे राजस्व अभिलेख में मेरा नाम त्रुटिवश गुड्डी (GUDDI) आत्मज जगदीश अंकित हो गया है, अब मैं, अपने राजस्व अभिलेख में अपना सही नाम सपना (SAPNA) आत्मज स्व. जगदीश अंकित करवाना चाहती हूँ एवं मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम सपना (SAPNA) दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(गुड्डी)
(GUDDI)

नया नाम

(सपना सगीतला)
(SAPNA SAGITALA)
आत्मज– स्व. जगदीश.

(G-2996)

नाम परिवर्तन

मैं, निशांत पटेरिया, मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र में पुत्री का नाम गौरवी पटेरिया (Gaurvi Pateriya) अंकित है. जो कि गलत है, जबकि मेरी पुत्री के अन्य दस्तावेजों आधार कार्ड एवं विद्यालय की अंकसूची में सही व पूरा नाम आव्या पटेरिया (Aavya Pateriya) अंकित है, जो कि सही नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को आव्या पटेरिया (Aavya Pateriya) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(निशांत पटेरिया)
पिता– श्री विजय कुमार पटेरिया
निवासी– ए 508, सागर गोल्डन पाम,
कटारा रोड, भोपाल (म.प्र.).

(G-2997)

नाम परिवर्तन

मैं, धीरज कुमार हिरानी पिता नवलकिशोर हिरानी, निवासी– गणेश वार्ड नंबर 27, बैतुल (म.प्र.). मेरे सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, अधिवक्ता पंजीयन कार्ड एंव पुत्र रौनक के जन्म प्रमाण–पत्र मे मेरा पूरा नाम धीरज कुमार हिरानी लिखा गया है, जबकि मेरे पुत्र की कक्षा 10वीं की अंकसूची मे मेरा नाम धीरज हिरानी अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मैं, अपने पुत्र की कक्षा 10वी की अंकसूची में अपना पूरा नाम धीरज कुमार हिरानी दर्ज कराना चाहता हूँ.

आवेदक

(धीरज कुमार हिरानी).
पिता– नवलकिशोर हिरानी

(G-2998)

नाम परिवर्तन

मेरे शासकीय दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड में मेरा नाम मो. नाजिर हुसैन (MD NAZIR HUSSAIN) आत्मज श्री मो. मुजफ्फर हुसैन (MD MUZAFFAR HUSSAIN) है. मेरी रेल्वे सर्विस पुस्तिका में मेरा नाम नजीर हुसैन आत्मज श्री मो. मुजफ्फर हुसैन है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मो. नाजिर हुसैन (MD NAZIR HUSSAIN) आत्मज श्री मो. मुजफ्फर हुसैन (MD MUZAFFAR HUSSAIN) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(नजीर हुसैन)

नया नाम

(मो. नाजिर हुसैन)
(MD NAZIR HUSSAIN)
आत्मज श्री मो. मुजफ्फर हुसैन
(MD MUZAFFAR HUSSAIN).

(G-2999)

नाम परिवर्तन

मैं, शीता पंवार आत्मज मोजीराम, निवासी– ग्राम बरछा बुजुर्ग, तहसील खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.). मेरा सही नाम शीता पंवार (SHEETA PANWAR) आत्मज मोजीराम है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम शीतल कलोता आत्मज मोजीराम अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम शीता पंवार (SHEETA PANWAR) आत्मज मोजीराम मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(शीतल कलोता)	(शीता पंवार)
(SHITAL KALOTA)	**(SHEETA PANWAR).**

(G-3000)

नाम परिवर्तन

मैं, संजय बगोरिया पुत्र श्री सिग्नाथ सिंह, निवासी– म.नं. स्टेट बैंक के सामने, संस्कार इंटरनेशनल स्कूल, बिलकिसगंज, आष्टा, सीहोर (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम दक्ष बगोरिया (DAKSH BAGORIYA) हैं, जो कि सही है एवं मेरे पुत्र के नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम आरव बगोरिया (ARAV BAGORIYA) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को उसके सही नाम दक्ष बगोरिया (DAKSH BAGORIYA) के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(संजय बगोरिया)

पुत्र– श्री सिग्नाथ सिंह

(G-3001)

नाम परिवर्तन

मैं, आशा सिंगनापूरे पत्नी रामराव सिंगनापूरे (ASHA SINGNAPURE W/o. RAMRAO SINGNAPURE), निवासी– वार्ड नं. 10, रामाकोना, छिंदवाडा (म.प्र.). मेरे स्थानांतरण प्रमाण–पत्र में मेरा नाम विठाबाई पिता सदाशिव लोडेकर (WITHABAI D/o. SADASHIV LODEKAR) अंकित हो गया हैं, जो कि मेरा ही नाम है. मेरा सही नाम आशा सिंगनापूरे पत्नी रामराव सिंगनापूरे (ASHA SINGNAPURE W/o. RAMRAO SINGNAPURE) है, जो कि मेरे आधार कार्ड, निर्वाचन आयोग कार्ड, समग्र आई.डी व पैन कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम आशा सिंगनापूरे पत्नी रामराव सिंगनापूरे (ASHA SINGNAPURE W/o. RAMRAO SINGNAPURE) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(विठाबाई पिता सदाशिव लोडेकर)	(आशा सिंगनापूरे)
(WITHABAI D/o. SADASHIV LODEKAR)	**(ASHA SINGNAPURE)**
	पत्नी– रामराव सिंगनापूरे
	W/o. RAMRAO SINGNAPURE.

(G-3002)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम आधार कार्ड, जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में तनिशी अहिरवार TANISHI AHIRWAR के नाम से दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को उसके सही नाम तनिशी पी कुमार TANISHI P KUMAR पिता प्रमेन्द्र अहिरवार PRAMENDRA AHIRWAR के नाम से ही जाना–पहचाना जावे एवं अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(प्रमेन्द्र अहिरवार)
(PRAMENDRA AHIRWAR).

(G-3003)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम हेमंती घोषी पुत्री श्री कैलाश घोषी (HEMANTI GHOSHI D/o. KAILESH GHOSHI), निवासी– 48, ग्राम सेमरा माधो, रहली, सागर, (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम शानू घोषी पिता कैलाश घोषी (SHANU GHOSHI D/o. KAILASH GHOSHI) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे निर्वाचन आयोग कार्ड, शैक्षाणिक दस्तावेज, एवं जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम हेमंती घोषी पुत्री श्री कैलाश घोषी (HEMANTI GHOSHI D/o. KAILESH GHOSHI) के नाम से जाना–पहचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(शानू घोषी)
(SHANU GHOSHI)

नया नाम

(हेमंती घोषी)
(HEMANTI GHOSHI)
पुत्री– श्री कैलाश घोषी
D/O KAILESH GHOSHI.

(G-3004)

उपनाम परिवर्तन

मैं, दीना पिता खिलान बसोर, निवासी– 62, संजरा विघालय के पास, गढ़कोटा, जिला सागर (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम त्रुटिवश उसके आधार कार्ड में सृष्टि धानक (Srishti Dhanak) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम सृष्टि बसोर (SHRISHTI BASOR) है, जो कि मेरी पुत्री के कक्षा 10वीं की अंकसूची में दर्ज है, जिसे मैं, मेरी पुत्री के आधार कार्ड /शासकीय/अशासकीय सभी दस्तावेजों में दर्ज करवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को सृष्टि बसोर (SHRISHTI BASOR) के नाम से जाना–पहचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(सृष्टि धानक)
(Srishti Dhanak)

नया नाम

(सृष्टि बसोर)
(SHRISHTI BASOR).

(G-3005)

नाम परिवर्तन

मैं, पूजा अहिरवार पुत्री लक्ष्मण प्रसाद अहिरवार, निवासी– ग्रामटोरिया शुक्लान, तहसील मोहनगढ़, जिला टीकमगढ (म.प्र.). मेरा नाम पूजा अहिरवार पुत्री लक्ष्मण प्रसाद अहिरवार है एवं मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों एवं शासकीय रिकॉर्ड पर मेरा नाम पूजा अहिरवार पुत्री लक्ष्मण प्रसाद अहिरवार अंकित है, जो कि सही है तथा मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश मेरा नाम गोल्डी देवी दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे गोल्डी देवी के स्थान पर सही नाम पूजा अहिरवार लिखा–पढ़ा एवं पुकारा जावे.

पुराना नाम

(गोल्डी देवी)
(GOLDI DEVI)

नया नाम

(पूजा अहिरवार)
(POOJA AHIRWAR).

(G-3006)

नाम परिवर्तन

मैं, निसंजीत अहिरवार पुत्र लक्ष्मण प्रसाद अहिरवार, ग्राम टोरिया शुक्लान, तहसील मोहनगढ़, जिला टीकमगढ (म.प्र.). मेरा नाम निसंजीत अहिरवार पुत्र लक्ष्मण प्रसाद अहिरवार है एवं मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों एवं शासकीय रिकॉर्ड में मेरा नाम निसंजीत अहिरवार पुत्र लक्ष्मण प्रसाद अहिरवार अंकित है, जो कि सही है तथा मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम चिरंजीत अहिरवार दर्ज हो गया है जो कि गलत नाम है.अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे चिरंजीत अहिरवार के स्थान पर सही नाम निसंजीत अहिरवार के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(चिरंजीत अहिरवार)	(निसंजीत अहिरवार)
(CHIRANJEET AHIRWAR)	**(NISHANJEET AHIRWAR).**

(G-3007)

नाम परिवर्तन

मैं, लक्ष्मी बाई पत्नी धनराज सिरसे (LAKSHMI BAI W/o. DHANRAJ SIRSE), निवासी– वार्ड नं.–03, चांदामेटा (म.प्र.). मेरे दाखिल खारिज व पंचायत प्रमाण–पत्र में मेरा नाम नन्नी बाई पिता थम्मन सिंह कुमार (NANNI BAI D/o. THAMMAN SINGH KUMAR) अंकित हो गया है, जो कि मेरा ही नाम है. मेरा सही नाम लक्ष्मी बाई पत्नी धनराज सिरसे (LAKSHMI BAI W/o. DHANRAJ SIRSE) है, जो कि मेरे आधार कार्ड, निर्वाचन आयोग कार्ड, समग्र आई.डी. व पैन कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम लक्ष्मी बाई पत्नी धनराज सिरसे (LAKSHMI BAI W/o. DHANRAJ SIRSE) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(नन्नी बाई)	(लक्ष्मी बाई)
(NANNI BAI)	**(LAKSHMI BAI)**
पिता– थम्मन सिंह कुमार	पत्नी– धनराज सिरसे
(D/o. THAMMAN SINGH KUMAR)	(W/o. DHANRAJ SIRSE).

(G-3008)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम कन्हैया चंद्रवंशी (KANHAIYA CHANDRAWANSHI) पिता जोरावर सिंह, निवासी– प्लॉट नं. 10, ग्राम बड़ोदिया, सरसादिया सिसोदिया, जिला शाजापुर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम सुमित चंद्रवंशी (SUMIT CHANDRAWANSHI) तथा पिता का नाम दिनेश अंकित हो गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है. मेरे पुत्र का सही नाम कन्हैया चंद्रवंशी (KANHAIYA CHANDRAWANSHI) पिता जोरावर है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को कन्हैया चंद्रवंशी (KANHAIYA CHANDRAWANSHI) पिता जोरावर के नाम से ही जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(जोरावर)

(G-3009)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम प्रियांशी पुष्पद पिता श्री राजेश, निवासी– ग्राम मगरखेड़ा, पोस्ट खजुरिया कलां, मगरखेड़ा, जिला एवं तहसील सीहोर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम साक्षी पिता श्री राजेश त्रुटिवश अंकित हो गया है तथा मेरी पुत्री के शैक्षणिक और गैर–शैक्षिणक दस्तावेजों में उसका नाम प्रियांशी पुष्पद पिता श्री राजेश अंकित है.अतः प्रकाशन उपरान्त से मेरी पुत्री को प्रियांशी पुष्पद (Priyanshi Pushpad) पिता श्री राजेश (RAJESH) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(राजेश).

(G-3010)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम कुलदीप सिंह सिसोदिया पिता श्री तवर सिंह सिसोदिया, निवासी– ग्राम खमलाय, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम कुलदीप सिसोदिया पिता श्री तवर सिंह सिसोदिया त्रुटिवश अंकित हो गया है तथा मेरे पुत्र के शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका सही नाम कुलदीप सिंह सिसोदिया पिता श्री तवर सिंह सिसोदिया अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को सही नाम कुलदीप सिंह सिसोदिया (Kuldeep Singh Sisodiya) पिता श्री तवर सिंह सिसोदिया के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(तवर सिंह सिसोदिया).

(G-3011)

नाम परिवर्तन

मैं, विनोद बिजोरिया मेरे पुत्र का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश LAKSHYA BIJORIYA (लक्ष्य बिजोरिया) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम LAKSHIT BIJORIYA (लक्षित बिजोरिया) है; जो कि उसके सभी दस्तावेजों, जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को उसके सही नाम LAKSHIT BIJORIYA (लक्षित बिजोरिया) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(विनोद बिजोरिया)

पता– म.नं. 12 शंकर गार्डन, एकतापुरी के पास,
हुजूर, भोपाल (म.प्र.).

(G-3012)

उपनाम परिवर्तन

मैं, पिंकी मिनोटे पति लोकेश मिनोटे, निवासी– ग्राम थोटामाल, तहसील बिछुआ, जिला छिन्दवाडा (म.प्र.). मेरा नाम पिंकी मिनोटे है. मेरी रेलवे सेवा अभिलेख (Service Record) में विवाह से पूर्व का नाम पिंकी गोनेकर दर्ज है. विवाह के बाद मेरा उपनाम पिंकी मिनोटे हो गया है, जो कि मेरे विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, मतदाता परिचय–पत्र में दर्ज है. सेवा अभिलेख (Service Record) में उपनाम परिवर्तित करने हेतू एवं अपने पुराने उपनाम पिंकी गोनेकर का पुर्णतः त्याग करती हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम पिंकी मिनोटे (Pinki minote) के नाम से सभी शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा, जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(पिंकी गोनेकर)

नया नाम

(पिंकी मिनोटे)
(Pinki minote).

(G-3013)

नाम परिवर्तन

मैं, साकेत आशीषकुमार छबिराम पुत्र श्री छबिराम एस साकेत, निवासी–39, गेंदो टोला, पोस्ट पोखरा, जिला सिधी (म.प्र.). मेरा नाम त्रुटिवश आधार कार्ड में आशीषकुमार साकेत पुत्र छबिराम एस साकेत (ASHISHKUMAR SAKET S/o. CHHABIRAM S SAKET) अंकित है. जबकि मेरा सही नाम साकेत आशीषकुमार छबिराम पुत्र छबिराम एस साकेत (SAKET ASHISHKUMAR CHHABIRAM S/o. CHHABIRAM S SAKET) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में सही नाम साकेत आशीषकुमार छबिराम पुत्र छबिराम एस साकेत (SAKET ASHISHKUMAR CHHABIRAM S/o. CHHABIRAM S SAKET) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(आशीषकुमार साकेत) (ASHISHKUMAR SAKET) पुत्र– श्री छबिराम एस साकेत S/o. CHHABIRAM S SAKET	(साकेत आशीषकुमार छबिराम) (SAKET ASHISHKUMAR CHHABIRAM) पुत्र– छबिराम एस साकेत S/o. CHHABIRAM S SAKET.

(G-3014)

नाम परिवर्तन

मैं, साकेत शिवकुमार विश्राम पुत्र श्री विश्राम साकेत, निवासी–39, रोंदो टोला, सिहावल, पोस्ट पोखरा, जिला सीधी (म.प्र.). मेरा नाम त्रुटिवश आधार कार्ड में शिवकुमार साकेत पुत्र विश्राम साकेत (SHIVAMKUMAR SAKET S/o. VISHRAM SAKET) अंकित है. मेरा सही नाम साकेत शिवमकुमार विश्राम पुत्र विश्राम साकेत (SAKET SHIVAMKUMAR VISHRAM S/o.VISHRAM SAKET) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में सही नाम साकेत शिवमकुमार विश्राम पुत्र विश्राम साकेत (SAKET SHIVAMKUMAR VISHRAM S/o.VISHRAM SAKET) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(शिवमकुमार साकेत) **(SHIVAMKUMAR SAKET)**	(साकेत शिवमकुमार विश्राम) (SAKET SHIVAMKUMAR VISHRAM) पुत्र– विश्राम साकेत (S/o. VISHRAM SAKET).

(G-3015)

नाम परिवर्तन

मैं, नेपाल सिंह आ. श्री सरनाम सिंह, निवासी–खेडली मैदानी, पोस्ट जामनेर, तह. मकसूदनगढ़, जिला गुना (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम गर्राज पुत्र श्री नेपाल सिंह (GARRAJ S/o. NEPAL SINGH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम रघुराज सिंह पुत्र श्री नेपाल सिंह (RAGHURAJ SINGH S/o. NEPAL SINGH) है, जो कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. मैं, अपने पुत्र के आधार कार्ड में दर्ज करवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को उसके सही नाम रघुराज सिंह पुत्र श्री नेपाल सिंह (RAGHURAJ SINGH S/o. NEPAL SINGH) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(नेपाल सिंह)
आ.– श्री सरनाम सिंह.

(G-3016)

नाम परिवर्तन

मैं, ओवेश अहमद गौरी पिता हबीब अहमद, निवासी– वार्ड नं. 11, जैन मंदिर गली, बीनागंज, जिला गुना (म.प्र.) मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम ओवेश अहमद गौरी पिता हबीब अहमद (Ouvesh Ahmed Ghouri S/o. Habib Ahamad) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम एजाज अहमद गौरी पिता हबीब अहमद (Ajaz Ahamad Gouri S/o. Habib Ahamad) है जो कि मेरे मतदाता पहचान–पत्र व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम एजाज अहमद गौरी पिता हबीब अहमद (Ajaz Ahamad Gouri S/o. Habib Ahamad) के नाम से जाना–पहचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(ओवेश अहमद गौरी) **(Ouvesh Ahmed Ghouri)**	**(एजाज अहमद गौरी)** (Ajaz Ahamad Gouri) पिता– हबीब अहमद S/o. Habib Ahamad.

(G-3017)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम गीता धुर्वे, पिता ज्ञान धुर्वे, निवासी– पचउमरी, तहसील मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उनका नाम गीतू धुर्वे त्रुटिवश अंकित हो गया है, जो कि गलत है, मेरी पुत्री का सही नाम जन्म प्रमाण–पत्र व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है, जो कि सही है, गीतू धुर्वे एवं गीता धुर्वे दोनों नाम एक ही महिला के हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री के आधार कार्ड व शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक सभी दस्तावेजों में उसका सही नाम गीता धुर्वे (Gita Dhurve) पिता श्री ज्ञान धुर्वे (Gyan Dhurve) के नाम से ही जाना, पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(गीतू धुर्वे)	**(गीता धुर्वे).**

(G-3018)

नाम परिवर्तन

मैं, चुनकी बाई पत्नी श्री रामआसरे, निवासी– ग्राम खुटहा, बिरसिंहपुर, जिला सतना (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम 'चुनकीवा देवी शुक्ला' (CHUNKIWA DEVI SHUKLA) अंकित हो गया है, जबकि मेरे मतदाता परिचय–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र में मेरा सही नाम 'चुनकी बाई' (CHUNKEE BAI) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शासकीय एवं निजी दस्तावेजों व अभिलेखों में मेरा सही नाम 'चुनकी बाई' (CHUNKEE BAI) के नाम से ही जाना–पहचाना और पुकारा जावे..

पुराना नाम	नया नाम
(चुनकीवा देवी शुक्ला) (CHUNKIWA DEVI SHUKLA)	**(चुनकी बाई)** (CHUNKEE BAI).

(G-3019)

नाम परिवर्तन

मैं, अखिलेश सोलंकी पिता मागु जी, निवासी– ग्राम पीपलू, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन (म.प्र.). मेरे पुत्र मनीष सोलंकी (MANISH SOLANKI) के आधार कार्ड में नाम त्रुटिवश कुलदीप (KULDIP) दर्ज हो गया है किन्तु मेरे पुत्र का सही नाम मनीष सोलंकी (MANISH SOLANKI) है मेरे पुत्र के अन्य दस्तावेज व विद्यालय रिकॉर्ड में भी मेरे पुत्र का सही नाम मनीष सोलंकी (MANISH SOLANKI) ही अंकित है. अतः प्रकाशन उपरांत समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का सही नाम मनीष सोलंकी (MANISH SOLANKI) के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कुलदीप) (KULDIP)	**(मनीष सोलंकी)** (MANISH SOLANKI).

(G-3020)

नाम परिवर्तन

मैं जगदीश राय आत्मज श्री हरप्रसाद राय, निवासी– शंकर कॉलोनी कोलुआ रोड अशोकनगर तहसील व जिला अशोकनगर (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम प्रार्थना राय (PRARTHNA RAI) है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम प्राथना राय अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री के आधार कार्ड में सही नाम प्रार्थना राय (PRARTHNA RAI) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों आधार कार्ड में मेरी पुत्री का नाम प्रार्थना राय (PRARTHNA RAI) अंकित किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(प्राथना राय)	(प्रार्थना राय)
(PRATHNA RAI)	(PRARTHNA RAI).

(G-3021)

नाम परिवर्तन

मैं, कमरजी रघुवंशी आत्मज श्री हमीर सिंह रघुवंशी, निवासी– ग्राम बगुल्या, तहसील शाढौरा, जिला अशोकनगर (म.प्र.). मेरा सही नाम कमरजी रघुवंशी (KAMARJI RAGHUWANSHI) है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम कमर जीत सिंह रघुवंशी अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे आधार कार्ड में सही नाम कमरजी रघुवंशी (KAMARJI RAGHUWANSHI) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों तथा आधार कार्ड में नाम कमरजी रघुवंशी (KAMARJI RAGHUWANSHI) अंकित किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कमर जीत सिंह रघुवंशी)	(कमरजी रघुवंशी)
(KAMAR JEET SINGH RAGHUWANSHI)	**(KAMARJI RAGHUWANSHI).**

(G-3022)

नाम परिवर्तन

मैं, मदन पुत्र श्री गौर, निवासी– ग्राम सताखेड़ी जाजोन, भाल, बामोरा, जिला विदिशा (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम त्रुटिवश आधार कार्ड में देवी सिंह अहिरवार (DEVI SINGH AHIRWAR) अंकित हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र का सही नाम देवानन्द (DEVANAND) है. जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का पूर्व नाम देवी सिंह अहिरवार (DEVI SINGH AHIRWAR) के स्थान पर मेरे पुत्र का सही नाम देवानन्द (DEVANAND) के नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(देवी सिंह अहिरवार)	(देवानन्द)
(DEVI SINGH AHIRWAR)	(DEVANAND).
	पुत्र– श्री मदन.

(G-3023)

नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड मे मेरा नाम किशोर हरिरामानी पिता गोविंदराम हरिरामानी KISHORE HARIRAMANI S/o. GOVINDRAM HARIRAMANI दर्ज था जिसे परिवर्तित कर किशोर हरिरामानी KISHOR HARIRAMANI कर दिया गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे किशोर हरिरामानी पिता गोविंदराम हरिरामानी KISHOR HARIRAMANI S/o. GOVINDRAM HARIRAMANI नाम से ही जाना–पहचाना जावे एवं शासकीय अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(किशोर हरिरामानी)
पिता– गोविंदराम हरिरामानी
निवासी– म.नं. 676, वार्ड नं. 30, जोशी नगर,
खण्डवा तह. एवं जिला खण्डवा (म.प्र.).

(G-3024)

नाम परिवर्तन

मैं, महेंद्र कुमार पाण्डेय पिता केशरी प्रसाद पाण्डेय, निवासी– मेहुती, सतना (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश प्रियंका पाण्डेय का तीसरा बच्चा (Baby Three Of Priyanka Pandey) दर्ज हो गया है जो कि पूर्णतः गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम मन पाण्डेय (MAN PANDEY) है, जो कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम मन पाण्डेय (MAN PANDEY) के नाम से जाना–पहचाना एवं उसके आधार कार्ड व उसके अन्य सभी दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(प्रियंका पाण्डेय का तीसरा बच्चा)	**(मन पाण्डेय)**
(Baby Three Of Priyanka Panday)	(MAN PANDEY).
	पुत्र– महेंद्र कुमार पाण्डेय.

(G-3025)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम भूरे सिंह यादव पुत्र राम सिंह यादव (Bhure Singh Yadav S/o. Ram Singh Yadav), निवासी–ग्राम बेलई, पोस्ट बीलाखेड़ी, बेलई, अशोक नगर, मुंगावली (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम प्रतपाल सिंह यादव पुत्र राम सिंह (Pratpal Singh Yadv S/o. Ram Singh), अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे जन्म प्रमाण–पत्र, पहचान–पत्र, बैंक खाते व पेन कार्ड दस्तावेजों में भी दर्ज है तथा सहीं नाम को सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम भूरे सिंह यादव पुत्र राम सिंह यादव (Bhure Singh Yadav S/o. Ram Singh Yadav) के नाम से जाना–पहचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(प्रतपाल सिंह यादव पुत्र राम सिंह)	(भूरे सिंह यादव पुत्र राम सिंह यादव)
(Pratpal Singh Yadv S/o. Ram Singh)	(Bhure Singh Yadav S/o. Ram Singh Yadav).

(G-3026)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम अनिशा डावर पिता उमेश डावर (ANISHA DAWAR D/o. UMESH DAWAR), निवासी– दोलतपुरा, रेहेंदा, झाबुआ (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अंशु पिता वालबाई (ANSHU D/o. VALBAI) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है मेरी पुत्री का नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों, जन्म प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र व पिता के स्थाई निवासी प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का सही नाम अनिशा डावर पिता उमेश डावर (ANISHA DAWAR D/o. UMESH DAWAR) के नाम से जाना–पहचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अंशु पिता वालबाई)	**(अनिशा डावर पिता उमेश डावर)**
(ANSHU D/o. VALBAI)	(ANISHA DAWAR D/o. UMESH DAWAR).

(G-3027)

नाम परिवर्तन

मैं, धमेन्द्र सिंह ठाकुर पुत्र श्री ओंकार सिंह, निवासी– ग्राम देवनखेड़ी कन्नोद मिर्जी, सीहोर (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम नेना ठाकुर (NENA THAKUR) हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को उसके सही नम रिधिमा ठाकुर (RIDHIMA THAKUR) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

आवेदक

(धमेन्द्र सिंह ठाकुर)
पुत्र– श्री ओंकार सिंह.

(G-3028)

आम सूचना

फर्म M/S. PARNAVI EXPLOSIVES, Khasra No. 318, 322,323,325 Police Station&Badaura Kalan, Lausi, Chhatarpur (M.P.) 471510 में स्थित है. जिसका पंजीकरण नंबर 06–12–01–0035–19 DTD 27 जून 2019 है. फर्म भागीदार अभिलेख के अनुसार दिनांक 11 जनवरी 2019 को निम्नांकित भागीदार थे–

1. श्री राहुल चतुर्वेदी 2. श्री हरगोविंद चतुर्वेदी 3. श्री संजय चतुर्वेदी 4. श्रीनोनेजू पाठक

जिसके उपरान्त उक्त फर्म की संरचना में दिनांक 8 दिसम्बर, 2025 को संशोधन विलेख तैयार किया गया जिसमें भागीदार क्र. 3 श्री संजय चतुर्वेदी तथा भागीदार क्र. 04 श्री नोनेजू पाठक ने यह निर्णय लिया है कि वे अपने व्यक्तिगत कारणों से दिनांक 8 दिसम्बर 2025 से स्वेच्छा से रिटायर हो रहे हैं एवं शेष पक्ष भागीदार क्र. 1. श्री राहुल चतुर्वेदी एवं भागीदार क्र. 2. श्री हरगोविंद चतुर्वेदी ने दिनांक 8 दिसम्बर 2025 से भागीदार बने रहने का निर्णय लिया है. जिसके अनुसार दिनांक 08 दिसम्बर 2025 से पुनर्गठित फर्म में निम्नलिखित भागीदार होंगे :–

1. श्री राहुल चतुर्वेदी 2. श्री हरगोविंद चतुर्वेदी

उपरोक्त विवरण जन साधारण के संज्ञान में लाने बाबत् इश्तहार जारी किया जा रहा है.

फर्म M/S. PARNAVI EXPLOSIVES

राहुल चतुर्वेदी
(भागीदार).

(G-3029)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म ''भास्कर दीक्षित कॉलोनी'' जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 06–11–01–0044–25, दिनांक 19 जून 2025 एवं फर्म का पता– 107 वार्ड नं. 02, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड, टिकुरिया मोहल्ला, पन्ना, तहसील पन्ना (म.प्र.) 488001 में स्थित है जिसमें पूर्व से दो पक्षकार श्री श्रीकांत दीक्षित पिता श्री भास्कर दीक्षित एवं श्री पवन कुमार जैन पिता स्व. श्री खुशाल चंद जैन हैं तथा आज दिनांक 26 मार्च 2026 को श्री रितिक दीक्षित पिता श्री श्रीकांत दीक्षित आयु 28 वर्ष निवासी ए–433 शाहपुरा भोपाल (म.प्र.) 462016 भागीदारी फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं और श्री श्रीकांत दीक्षित पिता श्री भास्कर दीक्षित जी स्वेच्छा से अलग हो रहे हैं उक्त विषय हेतु किसी भी व्यक्ति को भी कोई आपत्ति हो तो कृपया कर निम्नलिखित नंबर पर सूचित करें.

मेसर्स भास्कर दीक्षित कॉलोनी

श्री रितिक दीक्षित

(भागीदार).

(G-3030)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम अनिल जाटव पुत्र सुरेश जाटव (Anil Jatav S/o. Suresh Jatav), निवासी–ग्राम नानौरा, नानोरा, पोस्ट चोहरी, जिला शिवपुरी, (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अनिल हरिजन पुत्र श्री सुरेश (Anil Harijan S/o. Shri Suresh) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. वर्तमान में जो मेरा उपनाम (हरिजन) दर्ज हैं, जो वर्तमान में प्रतिबंधित है तथा आपत्तिजनक और अपमानजनक माना जाता है, इसलिए मेरे उपनाम के स्थान पर मुझे मेरी जाति दर्ज कराना है, मेरा सही नाम अनिल जाटव पुत्र सुरेश जाटव (Anil Jatav S/o. Suresh Jatav) है, जो कि मुझे सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम अनिल जाटव पुत्र सुरेश जाटव (Anil Jatav S/o. Suresh Jatav), के नाम से जाना–पहचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अनिल हरिजन पुत्र श्री सुरेश जाटव)	**(अनिल जाटव पुत्र सुरेश जाटव)**
(Anil Harijan S/o. Shri Suresh Jatav),	(Anil Jatav S/o. Suresh Jatav).

(G-3031)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम शारदा जाटव पुत्री बद्री प्रसाद (SHARDA JATAV W/o. BADRI PRASAD), निवासी– 90, आबूपुर उर्फ कुचौली, ग्राम आबुपुर उर्फ कुचोली, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम नारायणी बाई पिता बद्री प्रसाद (NARAYNI BAI D/o. BADRI PRASAD) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है मेरा सही नाम मेरे निर्वाचन आयोग कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम शारदा जाटव पुत्री बद्री प्रसाद (SHARDA JATAV D/o. BADRI PRASAD) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(नारायणी बाई)	(शारदा जाटव पुत्री बद्री प्रसाद)
(NARAYNI BAI)	(SHARDA JATAV D/o. BADRI PRASAD).

(G-3032)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम सुनीता पत्नी श्री किशन लाल (SUNITA W/o. KISHAN LAL), निवासी– 275 क, सुजानपुरा, सुजानपुरा खास, भाग–02, ग्राम सुजानपुरा, तहसील बलदेवगढ़, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम संध्या कोरी पत्नी किशन लाल (SANDHYA KORI W/o. KISHAN LAL) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे निर्वाचन आयोग कार्ड, में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम सुनीता पत्नी श्री किशन लाल (SUNITA W/O KISHAN LAL) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(संध्या कोरी)	(सुनीता पत्नी श्री किशन लाल)
(SANDHYA KORI)	(SUNITA W/O KISHAN LAL).

(G-3033)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम तनिष्क कहार पिता संतोष कुमार कहार (TANISHK KAHAR S/o. SANTOSH KUMAR KAHAR), निवासी– हाऊस नं. 56, राजेन्द्र वार्ड, करेली, नरसिंहपुर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम मनु उर्फ तनिष्क कहार पिता संतोष कुमार कहार (MANU URF TANISHK KAHAR S/o. SANTOSH KUMAR KAHAR) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नाम तनिष्क कहार पिता संतोष कुमार कहार (TANISHK KAHAR S/o. SANTOSH KUMAR KAHAR) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मनु उर्फ तनिष्क कहार)	(तनिष्क कहार)
(MANU URF TANISHK KAHAR)	(TANISHK KAHAR)
	पिता संतोष कुमार कहार
	(S/o. SANTOSH KUMAR KAHAR).

(G-3034)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम मनोज कुमार पिता हीरालाल (MANOJ KUMAR S/o. HIRALAL), निवासी– बिन्याखेड़ी, ब्यावरा, राजगढ़ (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम मुना पिता हीरालाल (MUNA S/o. HIRALAL) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मनोज कुमार पिता हीरालाल (MANOJ KUMAR S/o. HIRALAL) मेरे निर्वाचन आयोग कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम मनोज कुमार पिता हीरालाल (MANOJ KUMAR S/o. HIRALAL) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मुना पिता हीरालाल)	(मनोज कुमार पिता हीरालाल)
(MUNA S/o. HIRALAL)	(MANOJ KUMAR S/o. HIRALAL).

(G-3035)

नाम परिवर्तन

मैं, केशर सिंह ठाकुर, मेरी पुत्री का नाम उसके आधार कार्ड त्रुटिवस "DAMINI THAKUR" (दामिनी ठाकुर) दर्ज हो गया है जो कि उसका सही नाम नहीं है एवं मेरी पुत्री का सही नाम "RASHI THAKUR" (राशि ठाकुर) है जो कि उसके सभी दस्तावेज जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेज में दर्ज है. जो उसका सही नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को उसके सही नाम "RASHI THAKUR" (राशि ठाकुर) से ही जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(दामिनी ठाकुर) (DAMINI THAKUR)	(राशि ठाकुर) (RASHI THAKUR). पता– 120/6, ग्राम वारई, ग्राम पंचायत बोरई, रहली, जिला सागर (म.प्र.).

(G-3036)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम हनी केसवानी पिता श्री जयपाल केसवानी, निवासी– म.नं. 39, शांति नगर, कबाड़खाना, हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम हनी केसवानी पिता श्री जयपाल केसवानी (HONEY KESWANI D/o. JAIPAL KESWANI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम हनी केसवानी पिता श्री जयपाल केसवानी (HUNNY KESWANI D/o. JAIPAL KESWANI) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(हनी केसवानी) **(HONEY KESWANI)**	(हनी केसवानी) (HUNNY KESWANI) पिता– श्री जयपाल केसवानी (D/o. JAIPAL KESWANI).

(G-3037)

नाम परिवर्तन

मैं, फिरोज खान पठान पिता श्री सफी खान पठान, निवासी–फ्लेट नं. 104, फर्स्ट फ्लोर, बंदूकवाला, भवन तिलक मार्ग, उज्जैन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम फिरोज खान सफी खान पठान पिता सफी खान तकी खान पठान (FIROZ KHAN SAFI KHAN PATHAN S/o. SAFI KHAN TAKI KHAN PATHAN) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे निर्वाचन आयोग कार्ड एवं ड्राईविंग लाईसेंस में दर्ज होने से प्रमाणित है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा सही नाम फिरोज खान पठान पिता सफी खान पठान (FIROZ KHAN PATHAN S/o. SAFI KHAN PATHAN) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(फिरोज खान सफी खान पठान) पिता सफी खान पठान (FIROZ KHAN SAFI KHAN PATHAN) ;S/o. SAFI KHAN TAKI KHAN PATHAN)	(फिरोज खान पठान) पिता– सफी खान पठान (FIROZ KHAN PATHAN) (S/o. SAFI KHAN PATHAN).

(G-3038)

नाम परिवर्तन

मैं, महेशचंद्र पिता प्रेमचंद्र, निवासी– 340, ग्राम गाजनोद, तह. बदनावर, जिला धार (म.प्र.). मेरी पुत्री के शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में उसका नाम तनु पाटीदार पुत्री महेश पाटीदार दर्ज हो गया है एवं अन्य शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में उसका नाम तनिषा पाटीदार पिता महेश पाटीदार दर्ज है. मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश तनु पाटीदार पुत्री महेश पाटीदार दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम तनिषा पाटीदार पिता महेश पाटीदार के नाम से जानी पहचानी जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(तनु पाटीदार)	(तनिषा पाटीदार) पुत्री– महेश पाटीदार.

(G-3039)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम सुनील शर्मा पुत्र श्री रामेश चन्द्र शर्मा, निवासी– ग्राम बाजार गांव, पोस्ट बरखेड़ा हसन, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम ओमप्रकाश शर्मा पिता श्री सुनील शर्मा (OM PRAKASH SHARMA S/o. SUNEEL SHARMA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र, में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम अंशुल शर्मा पिता श्री सुनील शर्मा (ANSHUL SHARMA S/o. SUNEEL SHARMA) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(ओमप्रकाश शर्मा) (OM PRAKASH SHARMA)	(अंशुल शर्मा पिता श्री सुनील शर्मा) (ANSHUL SHARMA) S/o. SUNEEL SHARMA.

(G-3040)

नाम परिवर्तन

मैं, खिलावन सिंह पटेल पिता श्री पतिराम पटेल निवासी–ग्राम बौडना ठाकुर, तहसील पिपरिया, जिला नर्मदापुरम, (म.प्र.). मेरे पुत्र आदित्य पटेल का नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश अनुज पटेल दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम स्कूल रिकार्ड अंकसूची व अन्य सभी दस्तावेजों में आदित्य पटेल नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मैं, मेरे पुत्र आदित्य पटेल के आधार कार्ड में अनुप पटेल के स्थान पर सही नाम आदित्य पटेल नाम दर्ज किया जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अनुज पटेल)	(आदित्य पटेल)

(G-3041)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम राहुल पंचाल पिता श्री मनोहर, निवासी– म.नं. 402, वार्ड नं. 03, भैरो मंदिर के पास, नगर पीपलरावां, तहसील सोनकच्छ, देवास, (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम कमरधी पिता श्री राहुल पंचाल (KAMRADHI D/o. RAHUL PANCHAL) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का सही नाम समृद्धि पंचाल पिता श्री राहुल पंचाल (SAMRIDDHI PANCHAL D/o. RAHUL PANCHAL) के नाम से जाना–पहचाना, पढ़ा व लिखा जावे.

आवेदक

(राहुल पंचाल)
पिता– श्री मनोहर

(G-3042)

नाम परिवर्तन

मैं, सुरेन्द्र शुक्ला पिता प्रभुदयाल शुक्ला, निवासी– सहजपुर, जिला सागर (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम त्रुटिवश उसके आधार कार्ड में अंशु शुक्ला (Anshu Shukla) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम अंशुल शुक्ला (ANSHUL SHUKLA) पिता सुरेन्द्र शुक्ला (SURENDRA SHUKLA) है, जो कि मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेज में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को अंशुल शुक्ला (ANSHUL SHUKLA) पिता सुरेन्द्र शुक्ला (SURENDRA SHUKLA) के नाम से जाना–पहचाना, पढ़ा व लिखा जावे.

आवेदक

(सुरेन्द्र शुक्ला).
पिता– प्रभुदयाल शुक्ला

(G-3043)

नाम परिवर्तन

मैं, विजय मुकाती पिता संतोष मुकाती, निवासी– 37, रुद्रवासा, जिला देवास (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम Darsan दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम हार्दिक मुकाती (HARDIK MUKATI) पिता विजय मुकाती (VIJAY MUKATI) है, जो मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेज में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को हार्दिक मुकाती (HARDIK MUKATI) पिता विजय मुकाती (VIJAY MUKATI) के नाम से जाना–पहचाना, पढ़ा व लिखा जावे.

आवेदक

(विजय मुकाती)
पिता– संतोष मुकाती.

(G-3044)

नाम परिवर्तन

मैं, नागेंद्र राजपूत पिता भानु प्रताप राजपूत, निवासी– ग्राम करमवाडा, तहसील बरेली, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम हरिओम राजपूत पिता भानुप्रताप सिंह राजपुत दर्ज है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम नागेंद्र राजपूत (NAGENDRA RAJPUT) पिता भानु प्रताप राजपूत (BHANU PRATAP RAJPUT) है, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेज कक्षा 10वीं की अंकसूची में दर्ज है, जिसे मैं, अपने आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय सभी दस्तावेजों में दर्ज करवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे नागेंद्र राजपूत (NAGENDRA RAJPUT) पिता भानु प्रताप राजपूत (BHANU PRATAP RAJPUT) के नाम से जाना–पहचाना, पढ़ा व लिखा जावे.

पुराना नाम

(हरिओम राजपूत)
पिता– भानुप्रताप सिंह राजपुत

नया नाम

(नागेंद्र राजपूत)
(NAGENDRA RAJPUT)
पिता– भानु प्रताप राजपूत
(BHANU PRATAP RAJPUT).

(G-3045)

नाम परिवर्तन

मैं, मो. जफर खान पिता मो. याकूब, निवासी– 129, वार्ड नं. 05, लोधी मोहल्ला, ओबेदुल्लागंज, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरा नाम रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस में त्रुटिवश MOHD ZAFAR, MOHD JAFAR दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे आधार कार्ड एवं मेरे बैक पास बुक में मेरा सही नाम मो. जफर खान (MO. JAFAR KHAN) पिता मो. याकूब (MO. YAKUB) दर्ज है, जिसे मैं अपने शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मो. जफर खान (MO. JAFAR KHAN) पिता मो. याकूब (MO. YAKUB) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(MOHD ZAFAR, MOHD JAFAR)	**(मो. जफर खान)** (MO. JAFAR KHAN) पिता– मो. याकूब (MO. YAKUB).

(G-3046)

नाम परिवर्तन

मैं, एस. वीरमणी पिता के. शांता मूर्ति, निवासी– हाउस नं. 248 सी, कमला नगर, पिपलानी, बी.एच.ई.एल., जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश शांता वीरमणी S/o. स्व. के. शांता मूर्ति अंकित हो गया है, मेरा सही नाम एस. वीरमणी (S. VEERMANI) पिता के. शांता मूर्ति (K. SHANTHA MOORTHY) है, जो कि मेरे सर्विस रिकार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे एस. वीरमणी (S. VEERMANI) पिता के. शांता मूर्ति (K. SHANTHA MOORTHY) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(शांता वीरमणी) S/o. स्व. के. शांता मूर्ति	**(एस. वीरमणी)** (S. VEERMANI) पिता– के. शांता मूर्ति (K. SHANTHA MOORTHY).

(G-3047)

नाम परिवर्तन

मैं, सुरेश गिर पिता छोटू गिर, निवासी– म. नं. 41, ग्राम गणेशपुरा, पोस्ट सुसनेर, तहसील सुसनेर, जिला आगर मालवा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश सूरज आदिवासी द्वारा छोटू आदिवासी दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम सुरेश गिर (SURESH GIR) पिता छोटू गिर (CHHOTU GIR) है, जो कि मेरे वोटर आई.डी कार्ड में दर्ज है, जिसे मैं अपने आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय सभी दस्तावेजों में दर्ज करवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे सुरेश गिर (SURESH GIR) पिता छोटू गिर (CHHOTU GIR) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सूरज आदिवासी) द्वारा छोटू आदिवासी	**(सुरेश गिर)** **(SURESH GIR)** पिता– छोटू गिर (CHHOTU GIR).

(G-3048)

नाम परिवर्तन

मैं, विक्रम सिंह पिता रामप्रसाद, निवासी– ग्राम बरखेड़ा नागीन, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश प्रियंका यादव (Priyanka Yadav) पिता विक्रम सिंह (Vikram Singh) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम अनुराधा यादव (ANURADHA YADAV) पिता विक्रम सिंह (VIKRAM SINGH) है, जो कि मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेज कक्षा 10वीं की अंकसूची में दर्ज है, जिसे मैं, अपनी पुत्री के आधार कार्ड/शैक्षणिक/अशैक्षणिक/ शासकीय /अशासकीय सभी दस्तावेजों में दर्ज करवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को सही नाम अनुराधा यादव (ANURADHA YADAV) पिता विक्रम सिंह (VIKRAM SINGH) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(विक्रम सिंह)
पिता– रामप्रसाद.

(G-3049)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का पूर्व नाम माधव शर्मा (MADHAV SHARMA) को परिवर्तित कर नया नाम मानस शर्मा (MANAS SHARMA) हो गया है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में पूर्व नाम माधव शर्मा के स्थान पर परिवर्तित नाम मानस शर्मा (MANAS SHARMA) किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के समस्त दस्तावेजों में माधव शर्मा के स्थान पर परिवर्तित नाम मानस शर्मा (MANAS SHARMA) लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रमेश शर्मा).

(G-3050)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम देव सिंह को परिवर्तित कर नया नाम देवी सिंह (DEVI SINGH) हो गया है. इससे पूर्व मेरा नाम देव सिंह था. मेरे आधार कार्ड में पूर्व नाम देव सिंह के स्थान पर परिवर्तित नाम देवी सिंह (DEVI SINGH) किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त दस्तावेजों में देव सिंह के स्थान पर परिवर्तित नाम देवी सिंह (DEVI SINGH) लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(देव सिंह)

नया नाम
(देवी सिंह).

(G-3051)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का पूर्व में नाम आरती (ARTI) को परिवर्तित कर नया नाम सलोनी ठाकुर (SALONY THAKUR) हो गया है. इससे पूर्व मेरी पुत्री का नाम आरती (ARTI) था. मेरी पुत्री के आधार कार्ड में पूर्व नाम आरती (ARTI) के स्थान पर परिवर्तित नाम सलोनी ठाकुर (SALONY THAKUR) किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री के समस्त दस्तावेजों में आरती (ARTI) के स्थान पर परिवर्तित नाम सलोनी ठाकुर (SALONY THAKUR) लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(शिशुपाल सिंह).

(G-3052)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम प्रेमलता पत्नी गोवर्धन (Premlata W/o. Govardhan), निवासी– आदर्श कॉलोनी, बडवाह, बरवाहा, खरगोन, बरवाहा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम प्रेमा बाई पत्नी गोवर्धन (Prema Bai W/o. Govardhan) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र के दस्तावेज में दर्ज है तथा सही नाम को सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम प्रेमलता पत्नी गोवर्धन (Premlata W/o. Govardhan) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(प्रेमा बाई)	(प्रेमलता)
(Prema Bai)	**(Premlata)**
	पत्नी– गोवर्धन
	(W/o. Govardhan).

(G-3053)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म संजीवनी मेडीकल एजेन्सी जो कि नियर पवन मेडीकल, बैंड मार्केट, दौलतगंज, गिर्द, ग्वालियर, में स्थित है, जिसका पंजीयन क्रमांक 02–42–01–0317–25, दिनांक 5 फरवरी 2025 है. जिसमें दिनांक 7 फरवरी 2026 को भागीदार (1) श्री आशीष खरे पुत्र श्री विजय खरे, निवासी– पीएचई ऑफिस के पास, गेंडे वाली सड़क, गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.) (2) श्री मुकुल शाक्य पुत्र श्री राजकुमार शाक्य निवासी– चित्रगुप्तगंज, लश्कर, बिहाइन्ड कैलास टॉकीज, गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं और इसी दिनांक 7 फरवरी 2026 को श्री छोटेलाल राठौर पुत्र श्री उदय जीत राठौर, निवासी– रेजीडेंट ऑफ बजाज मार्केट के सामने, रॉक्सी पुल, कम्पु, गिर्द, ग्वालियर, लश्कर, (म.प्र.) नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं.

फर्म– संजीवनी मेडिकल एजेन्सी

सौरभ राठौर पुत्र श्री छोटेलाल राठौर
(भागीदार)
पता–नियर पवन मेडिकल, बैंड मार्केट,
दौलतगंज, गिर्द, ग्वालियर.

(G-3054)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ओम जय गुरूदेव जो कि मोची ओली, सराफा बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्रमांक 02–42–01–0274–19, दिनांक 6 फरवरी 2019 है. जिसमें दिनांक 4 अप्रैल 2026 को भागीदार (1) श्री गोकुल बंसल पुत्र श्री राजकुमार बंसल, निवासी– 70. मेना वाली गली, दाल बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.), (2) श्री मनीष मितल पुत्र श्री सुरेश चंद्र मितल, निवासी– 53 आर, हरिशंकर पुरम, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं.

फर्म– मेसर्स ओम जय गुरूदेव

श्वेता गोयल पति श्री विपिन गोयल
(भागीदार)
पता– मोची ओली, सराफा बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-3055)

नाम परिवर्तन

मैं, बालाराम दरस्यामकर पुत्र रामदीन, निवासी– ग्राम सालिवाडा, पोस्ट टेमरूमाल, जिला बैतूल (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम जयंतीन दरस्यामकर (Jayantin Darsyamkar) पुत्री बलराम चौहान (Balram Chouhan) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरी पुत्री का सही नाम जयंती दरस्यामकर (Jayanti Darsyamkar) पुत्री बालाराम दरस्यामकर (Balaram Darsyamkar) है, जो कि सही है, जो कि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र एवं उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम जयंती दरस्यामकर (Jayanti Darsyamkar) पुत्री बालाराम दरस्यामकर (Balaram Darsyamkar) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(बालाराम दरस्यामकर)

पुत्र– रामदीन.

(G-3056)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम साक्षी गांगिल (Sakshi Gangil) पुत्री मुकेश गुप्ता (Mukesh Gupta) है और मेरा व मेरे पिता का यही नाम मेरे आधार कार्ड व पैन कार्ड में लिखा हुआ है. मेरी शैक्षणिक अंकसूची व मेरे वोटर कार्ड में मेरा व मेरे पिता का नाम साक्षी गांगिल (Sakshi Gangil) पुत्री मुकेश गांगिल (Mukesh Gangil) लिखा हुआ है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा व मेरे पिता का नाम साक्षी गांगिल (Sakshi Gangil) पुत्री मुकेश गुप्ता (Mukesh Gupta) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(साक्षी गांगिल)	**(साक्षी गांगिल)**
(Sakshi Gangil)	**(Sakshi Gangil)**
पुत्री– मुकेश गांगिल	पुत्री– मुकेश गुप्ता
(Mukesh Gangil)	**(Mukesh Gupta)**
	पता– शिवहरे कॉलोनी, शुभाष मिल के पास, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-3057)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र रणवीर राणा (Ranveer Rana) के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम मुरली (Murali) पुत्र सुरेन्द्र राना (Surendra Rana) लिखा हुआ है, जो कि उसका व मेरा गलत नाम है. मेरे पुत्र का सही नाम रणवीर राणा (Ranveer Rana) पुत्र सुरेन्द्र (Surendr) है. मेरे पुत्र के राज्य शिक्षा केन्द्र की अंकसूची पर एवं उसके जन्म प्रमाण–पत्र में उसका यही सही नाम लिखा हुआ है. मुझे अपने पुत्र के आधार कार्ड में उसका सही नाम रणवीर राणा (Ranveer Rana) पुत्र सुरेन्द्र (Surendr) लिखवाना है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का सही नाम रणवीर राणा (Ranveer Rana) पुत्र सुरेन्द्र (Surendr) लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मुरली)	**(रणवीर राणा)**
(Murali)	**(Ranveer Rana)**
पुत्र– सुरेन्द्र राना	पुत्र– सुरेन्द्र
	(Surendr)
	पता– ग्राम भेला कलां, पोस्ट बिजौली, तहसील ग्वालियर, भेला कला, बिजौली (म.प्र.).

(G-3058)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र आर्यन माहौर (Aaryan Mahor) के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम संस्कार (Sanskar) पुत्र रामेश्वर (Rameshvar) लिखा हुआ है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम आर्यन माहौर (Aaryan Mahor) पुत्र रामेश्वर (Rameshwar) है. मेरे पुत्र के राज्य शिक्षा केन्द्र की अंकसूची में एवं उसके जन्म प्रमाण–पत्र में उसका यही सही नाम लिखा हुआ है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का सही नाम आर्यन माहौर (Aaryan Mahor) पुत्र रामेश्वर (Rameshwar) लिखा व पढ़ा जावे.

आवेदक

(रामेश्वर)

पता– ग्राम बेरजा, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-3059)

नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम प्रीति गोयल घनेले (Preeti Goyal Dhanele) पत्नी हरीश कुमार (Hareesh Kumar) लिखा हुआ है, जो कि मेरा गलत नाम है. मेरा सही नाम प्रीति गोयल (Preeti Goyal) पत्नी हरीश कुमार (Hareesh Kumar) व पुत्री राम प्रकाश गोयल (Ram Prakash Goyal) है. मेरा यही नाम मेरे स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र व मेरी माध्यमिक शिक्षा मण्डल की अंकसूची व मेरे ड्राईविग लाईसेन्स में लिखा हुआ है. मुझे अपने आधार कार्ड में अपना सही नाम प्रीति गोयल (Preeti Goyal) पत्नी हरीश कुमार (Hareesh Kumar) लिखवाना है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम व प्रीति गोयल (Preeti Goyal) पत्नी हरीश कुमार (Hareesh Kumar) लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(प्रीति गोयल घनेले)

नया नाम

(प्रीति गोयल)
(Preeti Goyal)
पत्नी– हरीश कुमार
(Hareesh Kumar)
पता– क्रेसर कॉलोनी, नजदीक घोसीपुरा
स्टेशन, गिर्द ग्वालियर (म.प्र.).

(G-3060)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम आन्या आर्य (AANYA ARYA) पिता राजीव कुमार आर्य है. मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम आनिया आर्य (AANIYA ARYA) पिता राजीव कुमार आर्य दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम आन्या आर्य (AANYA ARYA) पिता राजीव कुमार आर्य है, जो कि उसके जन्म प्रामाण–पत्र में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम आन्या आर्य (AANYA ARYA) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(राजीव कुमार आर्य)
पता– म.नं. 106, वार्ड नं.05, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी,
जिला होशंगाबाद (म.प्र.).

(G-3061)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम शैलेन्द्र शर्मा (SHAILENDRA SHARMA) पिता महावीर प्रसाद शर्मा, निवासी– 7, द्वारकाधीश कॉलोनी नं. 02, सुरेश नगर, थाटीपुर, गिर्द, ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम गिरधारी लाल सोनी (GIRIDHARI LAL SONI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा नाम शैलेन्द्र शर्मा (SHAILENDRA SHARMA) पिता महावीर प्रसाद शर्मा है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त अपने सभी शासकीय/अशासकीय/ व्यक्तिगत दस्तावेजों में मेरा सही नाम शैलेन्द्र शर्मा (SHAILENDRA SHARMA) से जाना – पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(गिरधारी लाल सोनी)
(GIRIDHARI LAL SONI)

नया नाम

(शैलेन्द्र शर्मा)
(SHAILENDRA SHARMA).

(G-3062)

नाम परिवर्तन

मैं, शिवेन्द्र सिंह बघेल पुत्र श्री समयराज सिंह, निवासी– ग्राम बघेलान टोला, थाना जमोड़ी, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी (म.प्र.). मेरे पुत्र की कक्षा 10 वीं (CBSE) की अंकसूची में त्रुटिवश मेरा नाम शिवेन्द्र सिंह (Shivendra Singh) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरा सही नाम शिवेन्द्र सिंह बघेल (Shivendra Singh Baghel) है, जो कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजो में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के सभी शैक्षणिक/शासकीय/अशासकीय /दस्तावेजों में सही नाम अनुभव सिंह (Anubhav Singh) पुत्र शिवेन्द्र सिंह बघेल (Shivendra Singh Baghel) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(शिवेन्द्र सिंह बघेल).

(G-3063)

नाम परिवर्तन

मैं, अनय कानूनगों पिता प्रवीन कानूनगों, निवासी– 15 A, वी.आई.पी. परस्पर नगर, इंदौर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश अनन्य कानूनगों पिता प्रवीण कानूनगों (ANANNYA KANUNGO S/o. PRAVIN KANUNGO) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम अनय कानूनगों पिता प्रवीन कानूनगों (ANAY KANUNGO S/o. PRAVIN KANUNGO) है, जो कि मेरे अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम अनय कानूनगों पिता प्रवीन कानूनगों (ANAY KANUNGO S/o. PRAVIN KANUNGO) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(अनन्य कानूनगों)

नया नाम

(अनय कानूनगों)

(G-3064)

नाम परिवर्तन

मैं, मणिलाल पदमसि दंड, निवासी– 312, शिर सागर, बी.जे. विहार कॉलोनी, इंदौर, जिला इंदौर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में नाम मणिलाल पदमसि दंड दर्ज है, मेरे द्वारा बैंक ऑफ बड़ोदा के इक्विटी शेयर सर्टीफिकेट पर मेरा नाम मणिलाल पदमशी जैन दंड दर्ज है. जिसे मैं, वर्तमान में मणिलाल पदमसि दंड कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम मणिलाल पदमसि दंड (MANILAL PADAMSHI DAND) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(मणिलाल पदमशी जैन दंड)
(MANILAL PADAMSHEE JAIN DAND)

नया नाम

(मणिलाल पदमसि दंड)
(MANILAL PADAMSHI DAND).

(G-3065)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सारथी स्टोन एग्रीगेट जो कि ए–27, रामदयाल नगर, गिर्द ग्वालियर, 474020. में स्थित है, जिसका पंजीयन क्रमांक 02–42–01–0203–16, दिनांक 09 मई 2016 है. जिसमें दिनांक 03 फरवरी 2026 को भागीदार श्री अजय शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रकाश शर्मा, निवासी– ग्राम मेघपुरा, तहसील भिण्ड (म.प्र.) श्री शिव कुमार राठौर पुत्र श्री उदयभान सिंह राठौर, निवासी– बी–70, बी.एस.एफ कॉलोनी एयरपोर्ट रोड़, डी. डी. नगर, ग्वालियर, (म.प्र.). श्रीमती निधि मिश्रा पत्नि श्री सौरभ मिश्रा, निवासी– 45–46 पंत नगर बिहान्ड ए.जी. ऑफिस ग्वालियर (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं. इसी दिनांक 03 फरवरी 2026 को श्री मुकेश कुमार भारद्वाज पुत्र श्री स्व. दाताराम भारद्वाज, निवासी– जीवाजी नगर ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.). फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं एवं इसी दिनांक 03 फरवरी 2026 को फर्म का मुख्य कार्यलय ए–27, रामदयाल नगर, गिर्द ग्वालियर से परिवर्तित कर 293 जीवाजी नगर, ठाटीपुर ग्वालियर (म.प्र.). 474001 किया गया है.

मेसर्स सारथी स्टोन एग्रीगेट

भूपेन्द्र सिंह पिता श्री प्रीतम सिंह गुर्जर

(भागीदार)

पता– ए–27, रामदयाल नगर, गिर्द ग्वालियर (म.प्र.).

(G-3066)

नाम परिवर्तन

मैं, नंदिनी राणा पिता धीरेंद्र सिंह राणा की शैक्षणिक अंकसूची, प्रवासन प्रमाण–पत्र, अस्थायी डिग्री प्रमाण–पत्र में मेरा नाम नंदिनी राणा पिता धीरेंद्र राणा दर्ज हो गया है, जबकि मेरे पिताजी का समस्त शासकीय और अशासकीय दस्तावेजों में नाम धीरेन्द्र सिंह राणा है. अतः मेरी शैक्षणिक दस्तावेजों, प्रवासन प्रमाण–पत्र, अस्थायी डिग्री प्रमाण–पत्र सहित समस्त शासकीय और अशासकीय दस्तावेजों में भी मेरा नाम नंदिनी राणा पिता धीरेंन्द्र सिंह राणा किया जावे.

प्रार्थिनी

(नंदिनी राणा)

पिता– धीरेंद्र सिंह राणा

निवासी– वार्ड नंबर 8, मेन रोड, सांवेर

जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-3067)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम पुष्पम्मा वर्गीस (PUSHPAMMA VARGHESE), निवासी– म. नं. 3/9, जी.के. हुसैन, कम्पाउंड, सदर कांट, जबलपुर (म.प्र.). मेरे कुछ शासकीय दस्तावेजों जैसे की घरेलू बिजली मीटर एवं मेरे ड्राईविंग लायसेंस में त्रुटिवश नाम (JESSY CHERIAN) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे आधार कार्ड व पैन कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम पुष्पम्मा वर्गीस (PUSHPAMMA VARGHESE) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(JESSY CHERIAN)

नया नाम

(पुष्पम्मा वर्गीस)

(PUSHPAMMA VARGHESE).

(G-3068)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, अनुभाग, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

बुरहानपुर, दिनांक 17 मार्च 2026

(नियम पांच–1 देखिए)

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत)

प्र.क्र.–615–बी–113–2025–26.– एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यास के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष आवेदक श्री वाघेश्वर महादेव मंदिर समिति ट्रस्ट, महाजनापेठ, सतियाराघाट, बुरहानपुर द्वारा अध्यक्ष हेमंत महाजन, निवासी– महाजनापेठ, सतियाराघाट, तहसील व जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश ने एक आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 4 मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के तहत् प्रस्तुत कर श्री वाघेश्वर महादेव मंदिर समिति ट्रस्ट, महाजनापेठ, सतियाराघाट, बुरहानपुर के पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया है. एतद्द्वारा सूचना–पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन–पत्र दिनांक 16 मार्च 2026 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखत कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जायेगाः–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता सम्पत्ति का विवरण)

1	लोक न्यास का नाम व पता	–	आवेदक श्री वाघेश्वर महादेव मंदिर समिति ट्रस्ट महाजनापेठ, सतियाराघाट, बुरहानपुर द्वारा अध्यक्ष हेमंत महाजन, निवासी महाजनापेठ सतियाराघाट, तहसील व जिला बुरहानपुर (म.प्र.).
2	चल–सम्पत्ति	–	निरंक है.
3	अचल संपत्ति	–	सतियाराघाट, महाजनापेठ, बुरहानपुर में स्थित ब्लॉक नंबर 57, प्लॉट नंबर 49, रकबा 5418 वर्गफीट पर बना श्री महादेव जी का मंदिर एवं खुली भूमि है.

(G-3069) **अजमेर सिंह गौड़**, पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), आष्टा, मध्यप्रदेश

आष्टा, दिनांक 24 मार्च 2026

प्रारुप – चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1695 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 का नियम 5(1) देखिए]

समक्ष पंजीयक, लोक न्यास, आष्टा, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

प्र.क्र.308–बी–113(1)–2025–26.– यह कि परमार्थ संत सेवा आश्रम धार्मिक न्यास, हनुमान गढी, ग्राम हुसैनपुरखेडी, तहसील आष्टा के अध्यक्ष ट्रस्टी के संरक्षक श्री महन्त श्रीराम प्रियदास आ० श्री ब्रह्मदेव त्यागी, अध्यक्ष श्री देवसिंह मेवाडा आ. हनुमतसिंह, उपाध्यक्ष श्री महेन्द्रसिंह उपलावदिया आ. युवराजसिंह, कोषाध्यक्ष श्री रामचन्द्र यादव आ. भेरूसिह यादव, सचिव

श्री दरियावसिंह पांचाल आ० जगन्नाथसिंह, सहसचिव श्री महेशचन्द्र यादव आ० राधेश्याम, अन्य 10 सदस्यगण ट्रस्ट कार्यालय, हनुमान गढी, ग्राम हुसैनपुरखेडी, पोस्ट लोरास खुर्द, तहसील आष्टा, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संस्था एवं संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कथित आवेदन पर दिनांक 10 अप्रैल 2026 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा. मैं. लोक न्यास पंजीयक आष्टा, जिला सीहोर अपने न्यायालय में दिनांक 24 मार्च 2026 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन यथा–अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था जो ट्रस्ट या सम्पति जिसका विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, के सबंध में कोई आपित्त या सुझाव देना चाहता हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से एक माह अर्थात् 30 दिवस के भीतर इस न्यायालय में न्यायालयीन कार्य दिवस अथवा नियत सुनवाई की तिथि को न्यायालयीन समय मे स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. उपयुक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त अपत्ति/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगाः–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	–	परमार्थ संत सेवा आश्रम धार्मिक न्यास, हनुमान गढी, ग्राम हुसैनपुरखेडी, आष्टा.
2.	स्थाई पता	–	हनुमान गढी, ग्राम हुसैनपुरखेडी, पोस्ट लोरास खुर्द, तहसील आष्टा, जिला सीहोर.
3.	संपत्ति का विवरण	–	निरंक

(G-3070)

आष्टा, दिनांक 16 मार्च 2026

प्रारुप -- चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1695 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 का नियम 5(1) देखिए]

समक्ष पंजीयक, लोक न्यास, आष्टा, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

प्र.क्र.--2–बी–113(1)–2025–26.–यह कि मालवीय पोलाया समाज सामाजिक कल्याण समिति सोसायटी ट्रस्ट, मैना, आष्टा के अध्यक्ष ट्रस्टी श्री बलदेवप्रसाद मालवीय आ. चुन्नीलाल, उपाध्यक्षगण मांगीलाल पोलाया आ. रामसिंह पोलाया, सचिव श्री रामचन्द्र पोलाया आ. उमरावसिंह, सदस्यगण बिहारीलाल आ. रामसिंह, मुकेश कुमार आ. दरियावसिह, जगन्नाथसिंह आ. मंदरूपसिह देवकरण मालवीय आ. बोंदा, ट्रस्ट कार्यालय– म. नं. 7/1, नागझीरी, देवास रोड, उज्जैन, जिला उज्जैन, पिन नम्बर 456010 मध्यप्रदेश के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संस्था एवं संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है. एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कथित आवेदन पर दिनांक 10 अप्रैल 2026 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा. मैं, लोक न्यास पंजीयक आष्टा, जिला--सीहोर अपने न्यायालय में दिनांक 16 मार्च 2026 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन यथा–अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था जो ट्रस्ट या सम्पति जिसका विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, के सबंध में कोई आपित्त या सुझाव देना चाहता हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से एक माह अर्थात् 30 दिवस के भीतर इस न्यायालय में न्यायालयीन कार्य दिवस अथवा नियत सुनवाई की तिथि को न्यायालयीन समय में स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. उपयुक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त अपत्ति वायों पर कोई विचार नहीं किया जावेगाः–

अनुसूची

(लोक न्यायन का नाम और पत्ता व सम्पत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	–	मालवीय पोलाया समाज सामाजिक कल्याण समिति सोसायटी ट्रस्ट, मैना, आष्टा.
2.	स्थाई पता	–	म.नं. 7/1, नागझीरी, देवास रोड, उज्जैन, जिला उजैन, पिन नम्बर 458010 मध्यप्रदेश
3.	संपत्ति का विवरण	–	निरंक

(G-3071) **नितिन कुमार टाले,** अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनुभाग (मल्हारगंज), इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 4 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5(1) अर्न्तगत]

प्र.क्र.–1645–ट्रस्ट–2026.– "दीप फाऊंडेशन फौर सोशल चेंज'' कार्यालय पता– सूरज नगर, खातीपुर, एम आर 10, सुखलिया, इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा "दीप फाऊंडेशन फौर सोशल चेंज'' का मध्यप्रदेश का पब्लिक एक्ट की धारा 4(2) के अर्न्तगत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट मे दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगाः–

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल–चल संपत्ति का विवरण)

1.	ट्रस्ट का नाम	–	"दीप फाऊंडेशन फौर सोशल चेंज''
2.	कार्यालय पता	–	सूरज नगर, खातीपुर, एम आर 10, सुखलिया, इन्दौर, मध्यप्रदेश
3.	चल–संपत्ति	–	11,000/– (ग्यारह हजार मात्र)
4.	अचल–संपत्ति	–	निरंक

आज दिनांक 4 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से प्रसारित किया गया है.

(G-3072) **निधि वर्मा,** पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, उपखण्ड, गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

गोटेगांव, दिनांक 27 फरवरी 2026

(नियम पांच–1 देखिए)

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत)

प्रवा.–01–अ.वि.अ.–2026–प्र.क्र.–ब–113–2024–25.– एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीयक लोक न्यास गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के समक्ष आवेदक/अध्यक्ष/सचिव श्री मलखान सिंह लोधी आ. मोहन सिंह लोधी, निवासी गोटेगांव, तहसील गोटेगांव द्वारा आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 4 मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के अर्न्तगत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में देव महादेव मंदिर ट्रस्ट, ग्राम सिलारी को पंजीकृत किये जाने के लिये दिनांक 27 फरवरी 2026 को आवेदन–पत्र प्राप्त हुआ है जो मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है.

इस संबंध में किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर 2 प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगाः–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता सम्पत्ति का विवरण)

1	लोक न्यास का नाम व पता	–	देव महादेव मंदिर समिति ट्रस्ट, ग्राम सिलारी तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर म.प्र.
2.	पता	–	वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष श्री मलखान सिंह लोधी आ. मोहन सिंह लोधी, निवासी तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर
2	चल–सम्पत्ति	–	चल संपत्ति निरंक है.
3	अचल संपत्ति	–	मौजा सिलारी, तहसील गोटेगांव में स्थित भूमि ख. नं. 71,72,73 रकबा क्रमशः 0.429, 0.405, 0.348 हे. तथा सर्वेक्षण संख्यांक नंबर 124/1 भूखण्ड संख्यांक 52 रकबा 72 वर्गमीटर.

(G-3073)

संघमित्रा गौतम, पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, रतलाम (शहर), मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 16 मार्च 2026

(फार्म–4)

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 4 (2) के तहत्]

क्र.300–आर–1–26–प्र.क्र. 0006–बी–113(1)–2025–26.–आवेदक श्री पुष्पोद्भव द्विवेदी पिता महीधर शास्त्री, निवासी–म. नं. 15, गली नं. 1, धीरजशाह, नगर रतलाम एवं अन्य 6 की ओर से मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत एक संयुक्त आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर "सनातन धर्मपीठ" जिसके कार्यालय का पता म. नं. 14, गली, नं. 01, धीरजशाह नगर, रतलाम पर रहेगा के नाम से नवीन ट्रस्ट का पंजीयन किये जाने का निवेदन किया गया है. जिसकी सुनवाई दिनांक 15 अप्रैल 2026 को नवीन कलेक्टोरेट भवन महू–नीमच रोड के कक्ष क्रमांक 5 में की जावेगी.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस संबंध में किसी को वैधानिक आपत्ति ही तो वह प्रकरण में नियत दिनांक 15 अप्रैल 2026 को या इसके पूर्व इस न्यायालय में न्यायालयीन समय पर उपस्थित होकर अपनी आपत्ति पेश कर सकते हैं नियत अवधी पश्चात प्राप्त आपत्ति पर विचार न करते हुए प्रकरण में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी :–

पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण–

न्यास का पूरा नाम व पत्ता		"सनातन धर्मपीठ" म. नं. 14 गली, नं. 01 धीरजशाह नगर, रतलाम
(1)		(2)
1. अचल सम्पत्ति		निरंक
2. चल सम्पत्ति	1. नगद धनराशि	रुपये 3,500/–

(G-3074) **आर्ची हरित,** रजिस्ट्रार.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास, अनुभाग, राऊ, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 6 अप्रैल 2026

क्र.–1496–री.राऊ–2026.– आवेदक महेन्द्र कुमार पिता कन्हैयालाल मंडले, तर्फे "श्री लाखापति दरबार औडी उसेरिया धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास पवा सर्वे नंबर 899/1, श्री लाखापति दरबार, तहसील राऊ, जिला इन्दौर" द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस--1951) की धारा 4 के अंतर्गत उपरोक्त उल्लेखित नाम के न्यास को सार्वजनिक न्यास के अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है. आवेदन–पत्र के संलग्न घोषणा--पत्र, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं.

अतः, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के सम्बंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अन्दर इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित् अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगाः–

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल–चल संपत्ति का विवरण)

1.	ट्रस्ट का नाम	–	श्री लाखापति दरबार औडी उसेरिया धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास.
2.	पता	–	सर्वे नंबर 899/1, श्री लाखापति दरबार, तहसील राऊ, जिला इन्दौर.
3.	अचल सम्पत्ति	–	निरंक
4.	चल सम्पत्ति	–	–

आज दिनांक 6 अप्रैल 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन की पदमुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-3075) **गोपाल सिंह वर्मा,** अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक, लोक न्यास, खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 1 फरवरी, 2026

प्रारुप – चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एवं 1951 की धारा 5(2) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

रा.प्र.क्र.– बी–113–(1)–2025–26.– चूँकि, प्रार्थी आवेदक "अल फलाह धार्मिक एवं सामाजिक ट्रस्ट, खरगोन तर्फे अध्यक्ष, पता– बस स्टैंड के सामने, खण्डवा रोड खरगोन, तहसील व जिला खरगोन, मध्यप्रदेश की ओर से मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30–1951) की धारा 14(2) के अंतर्गत अनुसूची में दर्शित चल–अचल सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन आवेदन–पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि उक्त आवेदन–पत्र इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दिनांक से "एक माह" के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने अभिकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगाः–

अनुसूची

लोक न्यास का नाम व पता	–	"अल फलाह धार्मिक एवं सामाजिक ट्रस्ट, खरगोन तर्फे अध्यक्ष, पता– बस स्टैंड के सामने, खण्डवा रोड खरगोन, तहसील व जिला खरगोन, मध्यप्रदेश 451001
चल–सम्पत्ति	–	निरंक
अचल–सम्पत्ति	–	निरंक

(G-3076) **वीरेन्द्र कटारे,** अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

कार्यालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इछावर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

इछावर, दिनांक 2 जुलाई 2025

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत समक्ष रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील इछावर, जिला सीहोर]

क्र.–801–रीडर–2025.– आवेदक माँ नारायणी सामाजिक सांस्कृतिक कल्याण समिति कांकरखेड़ा, तहसील इछावर द्वारा "माँ नारायणी सामाजिक सांस्कृतिक लोक कल्याण सेवा ट्रस्ट कांकरखेड़ा, तहसील इछावर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश". को ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. उपयुक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगाः–

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल–चल संपत्ति का विवरण)

1.	ट्रस्ट का नाम व पता	–	"माँ नारायणी सामाजिक सांस्कृतिक लोक कल्याण सेवा ट्रस्ट कांकरखेड़ा, तहसील इछावर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश".
2.	कार्यालय का पता	–	श्री मां नारायणी धाम इछावर, सीहोर रोड़, ग्राम कांकरखेड़ा, तहसील इछावर, जिला सीहोर.
3.	अचल सम्पत्ति	–	–
4.	चल सम्पत्ति	–	–

(G-3077) **स्वाति मिश्रा,** अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 18 मार्च, 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम, 57–सी के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा 71 (1) के अंतर्गत परिसमापक दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं:–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	चंदन गृह निमार्ण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर.	डी.आर/जी.डब्ल्यू. आर/166, दिनांक 11.12.1989	1954/12.12.2025

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को मध्यप्रदेश राजपत्र में पूर्व में जारी किया गया है. उक्त संस्था के अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना है. यदि किसी को आपत्ति है, इस सूचना–पत्र के जारी करने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर के मय–प्रमाण के यदि कोई हो तो निश्चित् रूप से मेरे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखा पुस्तिकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेडस्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जान–बूझकर आस्तियां या अभिलेख एवं डेडस्टॉक नहीं सौंपे गए हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

(G-3078) **अजय आहूजा**, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 24 नवम्बर, 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम, 57–सी के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	गुरू कन्हारदास प्राथमिक उपभोक्ता सह. भण्डार, ग्वालियर.	118/27.6.1966	294/17.2.1997
2.	रिची प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, ग्वालियर.	554/11.7.2016	920/7.6.2019

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	जय कोटेश्वर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, ग्वालियर.	659 / 28.3.2017	915 / 7.6.2019
4.	जय शीतला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, ग्वालियर.	566 / 8.9.2016	916 / 7.6.2019
5.	एकता महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति, चिकली	961 / 1.7.2004	969 / 21.3.2016
6.	अल्प संख्यक मछुआरा सहकारी संस्था, इस्लामपुरा	808 / 30.08.1995	2191 / 20.11.1997
7.	जय माँ गायत्री यातायात सहकारी संस्था, ग्वालियर	203 / 26.6.1993	573 / 22.22.2005
8.	प्रजापति ईंट भट्टा उद्योग सह. समिति, भितरवार	41 / 17.07.1959	1000 / 29.3.2016
9.	माँ पीताम्बरा सिलाई उद्योग सह. समिति, ग्वालियर	400 / 26.11.2007	998 / 29.3.2016
10.	विंध्यांचल गोली टॉपी उद्योग सह. समिति, ग्वालियर	283 / 11.6.1997	1094 / 30.3.2016

सहकारी अधिनियम की धारा 71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना--पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय–प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण / दावेदारगण / सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखा पुस्तिकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां / डेडस्टॉक संस्था का रिकोर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सोंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जान--बूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकोर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सोंपे गए है तो सबंधित के विरूद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है तो दावेदार / साहूकारों / सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गतवर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टया बोगस / शून्यकाल मानकर तद्नुसार पंजीयन निरस्ती हेतु.

अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर समक्ष अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना--पत्र आज दिनांक 24 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-3079)

ग्वालियर, दिनांक 24 नवम्बर, 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम, 57–सी के अंतर्गत]

उप / सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:--

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	महिला होजरी उद्योग सहकारी समिति, ग्वालियर	926 / 29.03.2003	1090 / 30.3.2016

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	भारतीय सिक्योरिटी साख सहकारी समिति, ग्वालियर.	521 / 12.2.2016	1889 / 7.9.2020
3.	जनता साख सहकारी समिति मर्या., ग्वालियर	533 / 22.06.2016	1861 / 7.9.2020
	4.सम्पूर्णा महिला विकास साख सहकारी समिति, ग्वालियर.	698 / 20.04.2017	1893 / 7.09.2020
5.	गालव साख सहकारी समिति मर्या., ग्वालियर	685 / 28.3.2017	1894 / 07.09.2020
6.	दीनदयाल साख सहकारी समिति मर्या., ग्वालियर	587 / 04.10.2016	1896 / 07.09.2020

सहकारी अधिनियम की धारा 71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना–पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय–प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण / दावेदारगण / सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरांत उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखा पुस्तिकों में लेखबद्ध दायित्व स्वमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां / डेडस्टॉक संस्था का रिकोर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सोंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जान–बूझकर आस्तियों या अभिलेख या रिकोर्ड एवं डेडस्टॉक नहीं सोंपे गए है तो सबंधित के विरूद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों / साहूकारों / सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गतवर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टया बोगस / शून्यकाल मानकर तद्नुसार पंजीयन निरस्ती हेतु.

अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर समक्ष अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना आज दिनांक 24 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-3080) **आनन्द कुमार,** परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, भोपाल संभाग भोपाल मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 12 मार्च, 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(क) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–346.– कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश के पत्र क्र.–परिसमापन–12026–87 सीहोर, दिनांक 23 जनवरी 2026 से अवगत कराया गया कि प्राथमिक महिला बहुउद्देशी सहकारी समिति मर्या., दोराहा, तहसील श्यामपुर (पंजीयन क्र. 1565, दिनांक 23 सितम्बर 2011) पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति में अक्षम रही है. संस्था द्वारा सन्ड्री खाते में जमा राशि को बचत खाते में स्थानांतरित तक नहीं किया गया है. उपायुक्त सहकारिता जिला सीहोर द्वारा संस्था के विरूद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(क) के तहत् कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है.

प्राथमिक महिला बहुउदेशीय सहकारी समिति मर्या., दोराहा, तहसील श्यामपुर (पंजीयन क्र. 1565, दिनांक 23 सितम्बर 2011) (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2026/152, दिनांक 03 फरवरी 2026 से कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रतिउत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 27 फरवरी 2026 की तिथि नियत की गई थी. उक्त सूचना–पत्र दैनिक समाचार–पत्र प्रदेश टाइम्स में भी दिनांक 17 फरवरी 2026 को प्रकाशित हुआ था.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रर्वतकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना–पत्र की विषयवस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना–पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अतः, मैं, के.के. द्विवेदी, संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–2–2010 पन्द्रह–1–8, दिनांक 23 अक्टूबर 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हये प्राथमिक महिला बहुउदेशीय सहकारी समिति मर्या.. दोराहा, तहसील श्यामपुर (पंजीयन क्र.1565, दिनांक 23 सितम्बर 2011) का पंजीयन निरस्त करता हूँ, तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क (2) के अन्तर्गत श्री रंजीत रैकवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक कार्यालय, उप आयुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समानुदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियिम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 12 मार्च 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-3081)

भोपाल, दिनांक 12 मार्च, 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(क) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–345.– कार्यालय, उप आयुक्त सहकारिता, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश के पत्र क्र.–परिसमापन–12026–87 सीहोर, दिनांक 23 जनवरी 2026 से अवगत कराया गया कि अकलियत साख सहकारी संस्था मर्या., कस्बा सीहोर (पंजीयन क्र. 1858 दिनांक 23 मार्च 2017) पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति में अक्षम रही है. संस्था द्वारा सन्ड्री खाते में जमा राशि को बचत खाते में स्थानांतरित तक नहीं किया गया है. उपायुक्त सहकारिता जिला सीहोर द्वारा संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (क) के तहत् कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है.

अकलियत साख सहकारी संस्था मर्या., कस्बा सीहोर (पंजीयन क्र. 1858 दिनांक 23 मार्च 2017) (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र.–परि.–2026–151, दिनांक 03 फरवरी .2026 से कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रतिउत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 27 फरवरी 2026 की तिथि नियत की गई थी. उक्त सूचना–पत्र दैनिक समाचार–पत्र प्रदेश टाइम्स में भी दिनांक 17 फरवरी 2026 को प्रकाशित हुआ था.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रर्वतकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना–पत्र की विषयवस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना–पत्र के उल्लेखित विषय के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अतः, मैं, के.के. द्विवेदी, संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, भोपाल, संभाग भोपाल मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–2–2010 पन्द्रह–1–8, दिनांक 23 अक्टूबर 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये अकलियत साख सहकारी संस्था मर्या., कस्बा सीहोर (पंजीयन क्र. 1858, दिनांक 23 मार्च 2017) का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम, की धारा 18

ए/क (2) के अन्तर्गत श्री रंजीत रैकवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय, उप आयुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समानुदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियिम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 12 मार्च 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-3082)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(क) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–350.– कार्यालय, उप आयुक्त सहकारिता, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश के पत्र क्र.–परिसमापन–12026–87 सीहोर, दिनांक 23 जनवरी .2026 से अवगत कराया गया कि नवीन प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., सीहोर, तहसील सीहोर (पंजीयन क्र.1782, दिनांक 23 जुलाई .2014) पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति में अक्षम रही है. संस्था द्वारा सन्ड्री खाते में जमा राशि को बचत खाते में स्थानांतरित तक नहीं किया गया है. उपायुक्त सहकारिता, जिला सीहोर द्वारा संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (क) के तहत् कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है.

नवीन प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., सीहोर, तहसील सीहोर (पंजीयन क्र.1782, दिनांक 23 जुलाई 2014) (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र–परि.–2026–156, दिनांक 03 फरवरी 2026 से कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रतिउत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 27 फरवरी 2026 की तिथि नियत की गई थी. उक्त सूचना–पत्र दैनिक समाचार–पत्र प्रदेश टाइम्स में भी दिनांक 17 फरवरी 2026 को प्रकाशित हुआ था.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रर्वतकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना–पत्र की विषयवस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना–पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अतः, मैं, के.के. द्विवेदी, संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, भोपाल. संभाग भोपाल मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–2–2010 पन्द्रह–1–3, दिनांक 23 अक्टूबर 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुय नवीन प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., सीहोर, तहसील सीहोर (पंजीयन क्र. 1782, दिनांक 23 जुलाई 2014) का पंजीयन निरस्त करता है तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क (2) के अन्तर्गत श्री वैभव सक्सेना, उप अंकेक्षक, कार्यालय, उप आयुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समानुदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियिम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 12 मार्च 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-3083)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(क) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–349.– कार्यालय, उप आयुक्त सहकारिता, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश के पत्र क्र.–परिसमापन–12026–87 सीहोर, दिनांक 23 जनवरी 2026 से अवगत कराया गया कि मार्डन साख सहकारी समिति मर्या., आष्टा (पंजीयन क्र. 1833, दिनांक 22 जनवरी 2016) पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति में अक्षम रही है. संस्था द्वारा सन्ड्री खाते में जमा राशि को बचत खाते में स्थानांतरित तक नहीं किया गया है. उपायुक्त सहकारिता जिला सीहोर द्वारा संस्था के विरूद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (क) के तहत् कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है.

मार्डन साख सहकारी समिति मर्या., आष्टा (पंजीयन क्र. 1833, दिनांक 22 जनवरी 2016) (जिसे आगे संक्षेप में केवल " संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र.–परि.–2026–155, दिनांक 03 फरवरी 2026 से कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रतिउत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 27 फरवरी 2026 की तिथि नियत की गई थी. उक्त सूचना–पत्र दैनिक समाचार–पत्र प्रदेश टाइम्स में भी दिनांक 17 फरवरी 2026 को प्रकाशित हुआ था.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रर्वतकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना–पत्र की विषयवस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना–पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अतः, मैं, के.के. द्विवेदी, संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, भोपाल, संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–2–2010 पन्द्रह–1–8, दिनांक 23 अक्टूबर 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुय मार्डन साख सहकारी समिति मर्या., आष्टा (पंजीयन 1833, दिनांक 22 जनवरी 2016) का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क(2) के अन्तर्गत श्री वैभव सक्सेना, उप अंकेक्षक, कार्यालय, उप आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समानुदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियिम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 12 मार्च 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-3084)

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(क) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–348.– कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जिला सीहोर, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./परिसमापन/12026/87 सीहोर, दिनांक 23 जनवरी 2026 से अवगत कराया गया कि मनोहर राज साख सहकारी समिति मर्या., अमलाह, तहसील इछावर, (पंजीयन क्र. 1938, दिनांक 06 मई 2019) पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होकर अपने उद्दश्यों की पूर्ति में अक्षम रही है. संस्था द्वारा सन्ड्री खाते में जमा राशि को बचत खाते में स्थानांतरित तक नहीं किया गया है. उपायुक्त सहकारिता जिला सीहोर द्वारा संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (क) के तहत् कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है.

मनोहर राज साख सहकारी समिति मर्या., अमलाह, तहसील इछावर (पंजीयन क्र.1938, दिनांक 06 मई 2019) (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2026/154, दिनांक 03 फरवरी 2026 से कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 27 फरवरी 2026 की तिथि नियत की गई थी. उक्त सूचना–पत्र दैनिक समाचार–पत्र प्रदेश टाइम्स में भी दिनांक 17 फरवरी 2026 को प्रकाशित हुआ था.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना–पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना–पत्र के उल्लेखित विषय वस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अतः, मैं, के.के. द्विवेदी, संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, भोपाल, संभाग भोपाल मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–2–2010 पन्द्रह–1–8, दिनांक 23 अक्टूबर 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए मनोहर राज साख सहकारी समिति मर्या., अमलाह, तहसील इछावर (पंजीयन क्र. 1938, दिनांक 06 मई 2019) का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम, की धारा 18 ए/क (2) के अन्तर्गत श्री वैभव सक्सेना, उप अंकेक्षक, कार्यालय उप आयुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला

सीहोर, को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समानुदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियमम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 12 मार्च 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-3085)

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(क) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–347.– कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जिला सीहोर, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./परिसमापन/12026/87 सीहोर, दिनांक 23 जनवरी 2026 से अवगत कराया गया कि दुर्गा महिला साख सहकारी समिति मर्या., सीहोर, तहसील सीहोर (पंजीयन क्र.1897, दिनांक 03 जुलाई 2018) पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति में अक्षम रही है. संस्था द्वारा सन्ड्री खाते में जमा राशि को बचत खाते में स्थानांतरित तक नहीं किया गया है. उपायुक्त सहकारिता जिला सीहोर द्वारा संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(क) के तहत् कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है.

दुर्गा महिला साख सहकारी समिति मर्या., सीहोर, तहसील सीहोर (पंजीयन क्र. 1897, दिनांक 03 जुलाई 2018) (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संस्था" कहा गया) है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2026/153, दिनांक 03 फरवरी 2026 से कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया जाकर 15 दिवस की समयावधि में प्रति उत्तर चाहा गया था एवं व्यक्तिगत रूप से पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 27 फरवरी 2026 की तिथि नियत की गई थी. उक्त सूचना–पत्र दैनिक समाचार–पत्र प्रदेश टाइम्स में भी दिनांक 17 फरवरी 2026 को प्रकाशित हुआ था.

उक्तानुसार नियत तिथि तक संस्था द्वारा कोई प्रत्ति उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर कोई उपस्थित हुआ. अतः यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि संस्था के प्रमुख प्रवर्तकों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों को कारण बताओ सूचना–पत्र की विषय वस्तु स्वीकार है और उन्हें कारण बताओ सूचना–पत्र के उल्लेखित विषय बस्तु के संबंध में कुछ नहीं कहना है. इस आधार पर संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना विधि अनुकूल है.

अतः, मैं, के. के. द्विवेदी, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल, संभाग भोपाल मध्यप्रदेश सह. सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 ए/क के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5–2–2010 पन्द्रह–1–8 दिनांक 23 अक्टूबर 2010 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए दुर्गा महिला साख सहकारी समिति मर्या., सीहोर, तहसील सीहोर (पंजीयन क्र. 1897, दिनांक 03 जुलाई 2018) का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा अधिनियम की धारा 18 ए/क (2) के अन्तर्गत श्री रंजीत रैकवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप आयुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त करता हूँ तथा आदेशित करता हूँ कि शासकीय समानुदेशिती उक्त संस्था का प्रभार प्राप्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का निराकरण एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 12 मार्च 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-3086) **के के द्विवेदी,** संयुक्त पंजीयक.

कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला नीमच, मध्यप्रदेश

नीमच, दिनांक 9 मार्च 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–439.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/23/451 नीमच, दिनांक 03 मई 2023 के द्वारा परिसमापित श्री राम बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., दारन पंजीयन क्रमांक 369, दिनांक 22 जुलाई 2017 का परिसमापन किये जाने हेतु एस.एल. रामनिया को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 24 फरवरी 2026 को प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ--5--1--99 पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित श्री राम बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., दारन, का पंजीयन क्रमांक 369, दिनांक 22 जुलाई 2007 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता हुँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 मार्च 2026 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-3087)

नीमच, दिनांक 9 मार्च 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–440.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–23–568, नीमच, दिनांक 3 मई 2023 के द्वारा परिसमापित गैलेक्सी साख सहकारी संस्था मर्या., जीरन, पंजीयन क्रमांक 197, दिनांक 22 सितम्बर 2014 का परिसमापन किये जाने हेतु एस.एल. बामनिया को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करनें के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण–पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 24 फरवरी 2026 को प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रदद् किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, की अधिसूचना क्रमांक एफ 5--1--99– पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप रजिस्ट्रर सहकारी समितियां, नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित गैलेक्सी साख सहकारी संस्था मर्या., जीरन, का पंजीयन क्रमांक 568, दिनांक 3 मई 2023 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 मार्च 2026 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-3088)

नीमच, दिनांक 9 मार्च 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–441.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–23–426 नीमच, दिनांक 3 मई 2023 के द्वारा परिसमापित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मालखेड़ा पंजीयन क्रमांक 330, दिनांक 3 दिसम्बर 2015 का परिसमापन किये जाने हेतु एस.एल. बामनिया को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के आस्तियां एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण–पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 24 फरवरी 2026 को प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रदद् करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रदद् करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रदद् किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5--1--99 पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रर सहकारी समितियां नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मालखेड़ा, का पंजीयन क्रमांक 330 दिनांक 3 दिसम्बर 2015 का रजिस्ट्रीकरण रदद् करते हुऐ निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 मार्च 2026 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-3089)

नीमच, दिनांक 9 मार्च 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–442.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–23–497 नीमच, दिनांक 3 मई 2023 के द्वारा परिसमापित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अल्हेड़, पंजीयन क्रमांक 123, दिनांक 10 सितम्बर 2008 परिसमापन किये जाने हेतु नवीन शर्मा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वो का निपटारा करनें के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण–पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 30 दिसम्बर 2025 को प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रदद् करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रदद् करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रदद् किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99–पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रर सहकारी समितियां, नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अल्हेड़ा, का पंजीयन क्रमांक 123, दिनांक 10 सितम्बर 2008 का रजिस्ट्रीकरण रदद् करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 मार्च 2026 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-3090)

नीमच, दिनांक 9 मार्च 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–443.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–23–497, नीमच, दिनांक 3 मई 2023 के द्वारा परिसमापित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बांगटेड पंजीयन क्रमांक 123, दिनांक 16 सितम्बर 2008 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री नवीन शर्मा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के अस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण–पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 30 दिसम्बर को प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रदद् करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रदद् करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रदद किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99 पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप रजिस्ट्रर सहकारी समितियां, नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बांगटेड, का पंजीयन क्रमांक 123, दिनांक 16 सितम्बर 2008 का रजिस्ट्रीकरण रदद करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 मार्च 2026 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-3091)

नीमच, दिनांक 9 मार्च 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–444.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–19–794 नीमच, दिनांक 26 नवम्बर 2019 के द्वारा परिसमापित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जयसिंहपुरा पंजीयन क्रमांक 305, दिनांक 6 जुलाई 2015 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री नवीन शर्मा संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण–पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 30 दिसम्बर 2025 को प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रदद् करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99 पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप रजिस्ट्रर सहकारी समितियां, नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जयसिंहपुरा का पंजीयन क्रमांक 305, दिनांक 6 जुलाई 2015 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 मार्च, 2026 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-3092)

नीमच, दिनांक 9 मार्च 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–445.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–23–496 नीमच, दिनांक 3 मई 2023 के द्वारा परिसमापित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कंजारी, पंजीयन क्रमांक 303, दिनांक 6 जुलाई 2015 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री नवीन शर्मा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण–पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 30 दिसम्बर 2025 को प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रदद् करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रदद् करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रदद् किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99 पन्द्रह– सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप रजिस्ट्रर सहकारी समितियां, नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कजांरी, का पंजीयन क्रमांक 303, दिनांक 6 जुलाई 2015 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 मार्च 2026 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-3093)

नीमच, दिनांक 9 मार्च 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–446.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–19–794 नीमच, दिनांक 26 नवम्बर 2019 के द्वारा परिसमापित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आनीया माली, पंजीयन क्रमांक 283, दिनांक 16 जून 2015 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री नवीन शर्मा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण–पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 30 दिसम्बर 2025 को प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रदद् किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99–पन्द्रह– सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप रजिस्ट्रर सहकारी समितियां, नीमच को प्रदत्त मध यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आनीया माली, का पंजीयन क्रमांक 283, दिनांक 16 जून 2015 का रजिस्ट्रीकरण रदद् करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 मार्च 2026 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-3094)

नीमच, दिनांक 9 मार्च, 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–447.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–23–425 नीमच, दिनांक 3 मई 2023 के द्वारा परिसमापित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेडा मनासा पंजीयन क्रमांक 317, दिनांक 4 अगस्त 2015 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री नवीन शर्मा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण–पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 30 दिसम्बर 2025 को प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रदद् किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99– पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रर सहकारी समितियां, नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेडा मनासा, का पंजीयन क्रमांक 317, दिनांक 4 अगस्त 2015 का रजिस्ट्रीकरण रदद् करते हुऐ निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 मार्च 2026 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-3095)

नीमच, दिनांक 9 मार्च, 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–448.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–23–577, नीमच, दिनांक 3 मई 2023 के द्वारा परिसमापित मित्रजित साख सहकारी संस्था मर्या., नीमच, पंजीयन क्रमांक 149, दिनांक 22 फरवरी 2010 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री नवीन शर्मा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण–पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 16 फरवरी 2026 को प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई हैं.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99– पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रर सहकारी समितियां, नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित मित्रजित साख सहकारी संस्था मर्या., नीमच का पंजीयन क्रमांक 149, दिनांक 22 फरवरी 2010 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 मार्च, 2026 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-3096)

नीमच, दिनांक 9 मार्च, 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–449.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–18–974, नीमच, दिनांक 19 सितम्बर 2018 के द्वारा परिसमापित हरियाली हार्टी कल्चर सहकारी संस्था मर्या., पिपल्या व्यास, पंजीयन क्रमांक 178, दिनांक 30 जुलाई 2012 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री नवीन शर्मा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण–पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन दिनांक को प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई हैं.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99– पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रर सहकारी समितियां, नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित हरियाली हार्टी कल्चर सहकारी संस्था मर्या., पिपल्या व्यास, का पंजीयन क्रमांक 178, दिनांक 30 जुलाई 2012 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 मार्च, 2026 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-3097)

नीमच, दिनांक 9 मार्च, 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–450.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–18–974, नीमच, दिनांक 17 सितम्बर 2018 के द्वारा परिसमापित ग्रीन फिल्ड हार्टी कल्चर सहकारी संस्था मर्या., जयसिंहपुरा ,पंजीयन क्रमांक 725, दिनांक 7 अगस्त 1999 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री नवीन शर्मा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण–पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 16 फरवरी 2026 को प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई हैं.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99– पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रर सहकारी समितियां, नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित ग्रीन फिल्ड हार्टी कल्चर सहकारी संस्था मर्या., जयसिंहपुरा, का पंजीयन क्रमांक 725, दिनांक 7 अगस्त 1999 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 मार्च, 2026 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-3098)

नीमच, दिनांक 9 मार्च, 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–451.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–457–23–457, नीमच, दिनांक 3 मई 2023 के द्वारा परिसमापित भादवा माता बीज सहकारी संस्था मर्या., जवासा, पंजीयन क्रमांक 359, दिनांक 20 नवम्बर 2016 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री नवीन शर्मा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण–पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 16 फरवरी 2026 को प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई हैं.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुसंशा के आधार पर सोसायटी का रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99– पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रर सहकारी समितियां, नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित भादवा माता बीज सहकारी संस्था मर्या., जवासा, का पंजीयन क्रमांक 359, दिनांक 20 नवम्बर 2016 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 मार्च, 2026 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-3099)

नीमच, दिनांक 9 मार्च, 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–452.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–18–373, नीमच, दिनांक 31 मार्च 2018 के द्वारा परिसमापित जय ज्वाला बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., सेमली मेवाड़, पंजीयन क्रमांक 297, दिनांक 6 सितम्बर 2016 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री नवीन शर्मा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण–पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 16 फरवरी 2026 को प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई हैं.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99– पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रर सहकारी समितियां, नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित जय ज्वाला बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., सेमली मेवाड, का पंजीयन क्रमांक 297, दिनांक 6 सितम्बर 2016 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 मार्च, 2026 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-3100)

नीमच, दिनांक 9 मार्च, 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–453.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–18–373, नीमच, दिनांक 31 मार्च 2018 के द्वारा परिसमापित कृष्णा बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., छायन, पंजीयन क्रमांक 254, दिनांक 26 मार्च 2015 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री नवीन शर्मा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण–पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 16 फरवरी 2026 को प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई हैं.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99– पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रर सहकारी समितियां, नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित कृष्णा बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., छायन, का पंजीयन क्रमांक 254, दिनांक 26 मार्च 2015 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 मार्च, 2026 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-3101)

नीमच, दिनांक 9 मार्च, 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–454.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–200–794, नीमच, दिनांक 26 नवम्बर 2019 के द्वारा परिसमापित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पुलाखेड़ा, पंजीयन क्रमांक 289, दिनांक 27 जून 2015 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री नवीन शर्मा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण–पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 16 फरवरी 2026 को प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई हैं.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99– पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप रजिस्ट्रर सहकारी समितियां, नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पुलाखेड़ा, का पंजीयन क्रमांक 289, दिनांक 27 जून 2015 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 मार्च, 2026 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-3102)

नीमच, दिनांक 9 मार्च, 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–455.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–19–794, नीमच, दिनांक 26 अप्रैल 2019 के द्वारा परिसमापित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा, पंजीयन क्रमांक 261, दिनांक 26 अप्रैल 2015 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री नवीन शर्मा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण–पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 16 फरवरी 2026 को प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई हैं.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99– पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रर सहकारी समितियां, नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा, का पंजीयन क्रमांक 261, दिनांक 26 अप्रैल 2015 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 मार्च, 2026 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-3103)

नीमच, दिनांक 9 मार्च, 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–456.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–18–392, नीमच, दिनांक 31 मार्च 2018 के द्वारा परिसमापित अभिनव प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्या., नीमच, पंजीयन क्रमांक 278, दिनांक 27 मई 1991 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री नवीन शर्मा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण–पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 16 फरवरी 2026 को प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई हैं.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99 पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रर सहकारी समितियां, नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित अभिनव प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्या., नीमच, का पंजीयन क्रमांक 278, दिनांक 27 मई 1991 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 मार्च, 2026 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-3104)

नीमच, दिनांक 9 मार्च, 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–457.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–18–974 नीमच, दिनांक 17 सितम्बर 2018 के द्वारा परिसमापित जागृति भंडार सहकारी संस्था मर्या., नीमच, पंजीयन क्रमांक 981, दिनांक 30 अक्टूबर 1995 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री नवीन शर्मा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण– पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 16 फरवरी 2026 को प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई हैं.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99–पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप रजिस्ट्रर सहकारी समितियां, नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित जागृति भंडार सहकारी संस्था मर्या., नीमच, का पंजीयन क्रमांक 981, दिनांक 30 अक्टूबर 1995 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 मार्च, 2026 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-3105)

नीमच, दिनांक 9 मार्च, 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–458.– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–18–369 नीमच, दिनांक 31 मार्च 2018 के द्वारा परिसमापित संस्कार भंडार सहकारी संस्था मर्या., नीमच, पंजीयन क्रमांक 102, दिनांक 24 अक्टूबर 2007 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री नवीन शर्मा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण–पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 16 फरवरी 2026 को प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई हैं.

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99–पन्द्रह सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप रजिस्ट्रर सहकारी समितियां, नीमच को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित संस्कार भंडार सहकारी संस्था मर्या., नीमच, का पंजीयन क्रमांक 102, दिनांक 24 अक्टूबर 2007 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 मार्च, 2026 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-3106) **राजू डावर,** सहायक पंजीयक.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.

इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 अप्रैल 2026–चैत्र 27, शक 1948

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाऐं

(कुछ नहीं)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.